

अस्वीकरण

मानव संसाधन प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर (बैंक) ने आवश्यकता के आधार पर बैंक को कार/वाहन प्रदान करने के लिए किराए कार देने वाली एजेंसियों/कंपनियों के पैनल में शामिल होने के लिए बोली लगाने की इच्छुक पार्टियों को निविदा के बारे में जानकारी देने के लिए यह निविदा दस्तावेज तैयार किया है। जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने यहां निहित जानकारी तैयार करने में उचित सावधानी बरती है और इसे सही मानता है, न तो भारतीय रिज़र्व बैंक और न ही इसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी और न ही उनके कोई संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी या किसी भी जानकारी की पूर्णता या सटीकता के बारे में कोई वारंटी देते हैं या कोई अभ्यावेदन व्यक्त या निहित करते हैं।

निविदा किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए किसी भी पक्ष को न तो कोई समझौता है और न ही आमंत्रण है। जानकारी संकेतिक है, न कि संपूर्ण है। इच्छुक पार्टियों को अपनी स्वयं की पूछताछ करने की आवश्यकता होती है और आवश्यकता होने पर उत्तर की लिखित रूप में पुष्टि की जाएगी और निविदा प्रस्तुत करने में केवल आरबीआई द्वारा प्रदान की गई जानकारी है। यह जानकारी इस आधार पर प्रदान की जाती है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों पर बाध्यकारी नहीं है। यदि प्रतिवादियों द्वारा समुचित सावधानी नहीं बरती जाती है तो बैंक जिम्मेदार नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक इस निविदा के साथ आगे न बढ़ने या निविदा के विन्यास को बदलने, इस दस्तावेज़ में परिलक्षित समय सारिणी को बदलने या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या प्रक्रिया को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यह रुचि व्यक्त करने वाले किसी भी पक्ष के साथ मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। अपनी बोली प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा।

निविदा अनुसूची (एसओटी)

क्र.सं.	निविदा का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर, ओडिशा के लिए किराए पर कार सेवाएं प्रदान हेतु कार हायर एजेंसियों का पैनल तैयार करने हेतु ई-निविदा
a	ई-निविदा नंबर	आरबीआई/भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय/एचआरएमडी/2/25-26/ईटी/912
b	निविदा का तरीका (ऑनलाइन)	ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (एमएसटीसी पोर्टल) (ऑनलाइन भाग-। - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग ॥ - मूल्य बोली के माध्यम से (https://www.mstcecommerce.com/eprocn)
c	निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) की तिथि, जिसे पक्षकार बैंक की वेबसाइट और ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल एमएसटीसी से डाउनलोड कर सकते हैं।	28 जनवरी, 2026, शाम 18:00 बजे के बाद (बुधवार) (दिन 1)
d	बैंक की वेबसाइट और एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल से देखने/डाउनलोड करने के लिए निविदाओं की उपलब्धता	28 जनवरी, 2026 - 17 फरवरी, 2026 (दिन 1 - 21)
e	बोली-पूर्व बैठक (ऑफलाइन)	24 फरवरी, 2026 (मंगलवार) (दिन - 28) समय - 11:00 बजे स्थान: सम्मेलन कक्ष, 2 मंजिल, भारतीय रिजर्व बैंक, जेएन मार्ग, भुवनेश्वर 751001
f	भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट और एमएसटीसी पोर्टल पर बोली-पूर्व बैठक के कार्यवृत्त के प्रकाशन की तारीख, यदि कोई हो।	26 फरवरी, 2026 (दिन - 30) (गुरुवार)
g	बयान जमाराशि (ईएमडी)	₹90,000/- राशि ईएमडी के माध्यम से प्रेषित की जाएगी। i.NEFT: खाता संख्या -186004001, भारतीय रिजर्व बैंक, आईएफएससी कोड - RBIS0BBPA01 (0 = शून्य), शाखा का नाम – भुवनेश्वर। या

		ii.डिमांड ड्राफ्ट: भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर के पक्ष में डीडी की सुपुर्दगी भारतीय रिजर्व बैंक, पं. जे. एन. मार्ग, भुवनेश्वर-751001 पर भौतिक रूप में की जाएगी।
h	ई-निविदा शुरू होने की तारीख ऑनलाइन तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करना www.mstcecommerce.com/eproc	27 फरवरी, 2026 (दिन - 31) दोपहर 14:00 बजे से (शुक्रवार)
i	तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा के समापन की तारीख	09 मार्च, 2026, दिन - 41 (सोमवार) 14:00 बजे तक
j	ईएमडी प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	09 मार्च, 2026, दिन - 41 (सोमवार) 14:00 बजे तक
k	भाग- I के खुलने की तारीख और समय (यानी, तकनीकी बोली)	09 मार्च, 2026, दिन - 41 (सोमवार) 15:00 बजे
l	भाग- II के खुलने की तारीख और समय (यानी, मूल्य बोली)	अलग से सूचित किया जाएगा
m	लेनदेन शुल्क	एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा शुल्क के अनुसार। लेनदेन शुल्क का भुगतान एमएसटीसी पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा।
N	निविदा की वैधता	90 दिन
o	सभी विवाद संबंधित क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे।	भुवनेश्वर

विषय-सूची

क्रम संख्या	शीर्षक	पेज नं.
1	ई-निविदा के लिए महत्वपूर्ण निर्देश	6-11
2	तकनीकी और वित्तीय बोलियों के संबंध में सामान्य निर्देश	12-21
3	कार्य का व्यापक दायरा और दिशानिर्देश	22-28
4	करारनामा	29-58
5	तकनीकी बोली (भाग- I)	59-63
6	वाणिज्यिक बोली (भाग- II)	64-68
7	मूल्यांकन मानदंड	69-70
8	अनुलग्नक-I (कार्य अनुभव)	71
9	अनुलग्नक-II (बैंक रिपोर्ट)	72-73
10	अनुलग्नक-III (वाहन की सूची)	74-75
11	अनुलग्नक-IV (ग्राहक रिपोर्ट)	76-77
12	अनुलग्नक-V (कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी)	78-82
13	अनुलग्नक-VI (यूज़र फीडबैक सह शुल्क पर्ची)	83-84

ई-निविदा के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

यह आरबीआई का ई-प्रोक्योरमेंट इवेंट है। ई-प्रोक्योरमेंट सेवा प्रदाता/ठेकेदार एमएसटीसी लिमिटेड है।

बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे अपना ऑनलाइन ई-निविदा प्रस्तुत करने से पहले इस निविदा के नियमों और शर्तों को पढ़ें। जो बोलीदाता दस्तावेजी प्रमाण (जहां भी आवश्यक हो) के साथ शर्तों का पालन नहीं करते हैं, वे मूल्य बोली खोलने के लिए ई-निविदा में अर्हता प्राप्त नहीं करेंगे।

1. ई-निविदा की प्रक्रिया:

(ए) पंजीकरण: इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के साथ वेंडर का पंजीकरण शामिल है जो निःशुल्क है। पंजीकरण के बाद ही, वेंडर अपनी बोलियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के साथ-साथ इंटरनेट पर मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली लगाई जाएगी। वेंडर के पास श्रेणी ॥। हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार का डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। वेंडर को इंटरनेट से जुड़े पीसी से बोली लगाने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होती है। भारतीय रिजर्व बैंक इस तरह की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियां दर्ज नहीं की जाएंगी)।

एमएसटीसी संस्करण (वी ३): वेंडर के पास निविदाओं में भाग लेने के लिए हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार प्रमाण पत्र दोनों के पास वैध श्रेणी - ॥। डिजिटल हस्ताक्षर होना चाहिए। वेंडर को बोली लगाने के लिए अपनी व्यवस्था करनी होगी।

विशेष नोट: तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली दोनों को www.mstcecommerce.com/eproc एनपर ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना है

1) वेंडर को www.mstcecommerce.com/eprocn पर खुद को ऑनलाइन पंजीकृत करना आवश्यक है।

वेंडर के रूप में पंजीकरण करें - विवरण भरना और स्वयं की उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड बनाना सबमिट करें। अधिक जानकारी के लिए, डाउनलोड गाइड/वीडियो/पंजीकरण पर जाएं

वेंडर को उनके ईमेल में उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा जो पंजीकरण फॉर्म भरने के दौरान प्रदान किया गया है। किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया एमएसटीसी/आरबीआई से संपर्क करें, (ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले)।

सम्पर्क करने का विवरण:

a) वेंडर के लिए संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी):

एचओ सेंट्रल हेल्प डेस्क: (वेंडर के

लिए) फोन नंबर :07969066600

helpdeskho@mstcindia.in (कृपया ईमेल भेजते समय विषय के रूप में "एचओ हेल्पडेस्क" का उल्लेख करें) उपलब्धता

सभी तकनीकी अड़चन ई-निविदा, सिस्टम सेटिंग्स आदि के लिए सभी कार्य दिवसों पर सुबह 9:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक।

बी) संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी)

कृपया www.mstcindia.co.in/content/Contact.aspx पर जाएँ

व्यक्ति से संपर्क करें	मेल	मोबाइल
श्री महेश रामवर्थ	rmalesh@mstcindia.co.in	8801281004
हेल्प डेस्क/ऑफिस	helpdesk@mstcindia.co.in	0674-2544199/ 2950091

सी) आरबीआई (आरओ/टीई) में संपर्क व्यक्ति

श्री राहुल सिंह केराम, प्रबंधक – rskeram@rbi.org.in (मोबाइल – 8074376753)

श्री बी पी सामंतराय, सहायक प्रबंधक, bpsamantaray@rbi.org.in (मोबाइल -

9040178024), गाइड।


श्री आलोक पाणिग्राही, सहायक प्रबंधक, alokpanigrahi@rbi.org.in (मोबाइल -

8249116534), गाइड

बी) सिस्टम आवश्यकता:

विवरण के लिए, वेंडर डाउनलोड सिस्टम सेटिंग गाइड का उल्लेख कर सकता है

www.mstcecommerce.com/eprocn/



i) विंडोज 7 या उससे ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम ii. एज/गूगल क्रोम iii) साइनिंग प्रकार डिजिटल हस्ताक्षर
iv) नवीनतम अपडेट किया गया JRE 8 (x86 ऑफलाइन) सॉफ्टवेयर सिस्टम में डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाएगा।

To disable “Protected Mode” for DSC to appear in The signer box following settings may be applied.

- Tools => Internet Options => Security => Disable protected Mode If enabled- i.e, Remove the tick from the tick box mentioning “Enable Protected Mode”.
- Other Settings:

Tools => Internet Options => General => Click On Settings under “browsing history/Delete Browsing History” => Temporary Internet Files => Activate “Every time I Visit the Webpage”.

To enable ALL active X controls and disable ‘use pop up blocker’ under Tools→ Internet Options→ custom level (Please run IE settings from the page www.mstecommerce.com once)

सी) तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली को www.mstecommerce.com/eproc पर ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। बीआईडी को निविदा में दिए गए अनुसार निर्दिष्ट तारीख और समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोला जाएगा।

डी) निविदा में सभी प्रविष्टियां बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूपों में दर्ज की जानी चाहिए।

2. लेन-देन शुल्क के लिए विशेष नोट:

वेंडर को वेंडर लॉगिन में “मेरा मेनू” के तहत “लेनदेन शुल्क भुगतान” लिंक का उपयोग करके लेनदेन शुल्क का भुगतान करना होगा। वेंडर को ईवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स से विशेष निविदा का चयन करना होगा। वेंडर के पास एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी।

एनईएफटी का चयन करने पर, वेंडर एक फॉर्म भरकर चालान तैयार करेगा। वेंडर चालान पर मुद्रित विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क राशि को उसमें बदलाव किए बिना भेज देगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, वेंडर के पास अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। एक बार जब भुगतान एमएसटीसी के निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा हो जाता है, तो लेनदेन शुल्क स्वतः अधिकृत हो जाएगा, और वेंडर को एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा।

लेनदेन शुल्क गैर-वापसी योग्य है। एक वेंडर के पास लेनदेन शुल्क के भुगतान के बिना ऑनलाइन ई-निविदा तक पहुंच नहीं होगी।

3. अपलोड की गई निविदाओं के बारे में जानकारी निविदा को अंतिम रूप देने तक प्रक्रिया के दौरान केवल ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। इसलिए वेंडर को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि एमएसटीसी के साथ वेंडर के पंजीकरण के समय प्रदान की गई उनकी कॉर्पोरेट ईमेल आईडी वैध और अद्यतन है। वेंडर से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।

नोट: बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे निविदा के समापन समय से पहले लेनदेन शुल्क को अग्रिम रूप से प्रस्तुत कर दें ताकि बोली प्रस्तुत करने के लिए खुद को पर्याप्त समय मिल सके। **निविदा आमंत्रित करने की सूचना में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा प्राप्त नहीं की जा सकती है।**

4. ई-निविदा में बोली:

नोट: वेंडर को दस्तावेज़ लाइब्रेरी में दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए माय मेनू में दस्तावेज़ अपलोड करें लिंक का उपयोग करने का निर्देश दिया जाता है। कई दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं। अपलोड के लिए एकल दस्तावेज़ का अधिकतम आकार 5 एमबी है।

एक बार लाइब्रेरी में दस्तावेज अपलोड हो जाने के बाद, वेंडर विशेष ई-निविदा के प्रति दस्तावेज़ संलग्न करें लिंक के माध्यम से दस्तावेज संलग्न कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यदि दस्तावेज किसी ई-निविदा से संलग्न नहीं हैं, तो उन्हें आरबीआई द्वारा डाउनलोड नहीं किया जा सकता है और यह माना जाएगा कि वेंडर ने दस्तावेज जमा नहीं किए हैं। अधिक सहायता के लिए कृपया वेंडर गाइड के निर्देशों का पालन करें।

- बोलीदाता (ओं) को ई-निविदा के लिए आवश्यक ईएमडी, ई-निविदा शुल्क (यदि कोई हो) और लेनदेन शुल्क अलग से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।** लेन-देन शुल्क, यदि कोई हो, **गैर-वापसी योग्य है।** ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। **असफल बोलीदाता (बोलीदाताओं) के ईएमडी को आरबीआई द्वारा वापस कर दिया जाएगा।**
- इस प्रक्रिया में तकनीकी वाणिज्यिक बोली के साथ-साथ मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है।**

जिन बोलीदाताओं ने उपर्युक्त शुल्क प्रस्तुत कर दिया है, वे केवल अपनी तकनीकी वाणिज्यिक बोलियां प्रस्तुत कर सकते हैं और

एमएसटीसी की वेबसाइट www.mstcecommerce.com → **ई-प्रोक्योरमेंट** → **नई** वेबसाइट में इंटरनेट के माध्यम से मूल्य बोली

Common Portal → Bid Floor Manager → live event → Selection of the live event → Transaction fee > Common terms -> Attach Documents -> Price Bid.

कृपया ध्यान दें: वेंडर लेनदेन शुल्क और ईएमडी विवरण के सफल प्रेषण के बाद, अपने लॉगिन में संलग्न दस्तावेज और सामान्य शब्द टैब सक्षम करेगा। इस चरण के सफल समापन के बाद, वेंडर को लॉट विशिष्ट शर्तों को सहेजने और पोर्टल के माध्यम से लॉट के खिलाफ अपनी मूल्य बोली प्रस्तुत करने या मूल्य बोलियां प्रस्तुत करने के लिए एक्सेल फ़ाइल को डाउनलोड और अपलोड करने की अनुमति दी जाएगी, जैसा भी मामला हो। यदि दस्तावेज संलग्न करें और/या सामान्य शर्तों को सहेजें, चरण असफल रहता है, तो लॉट विशिष्ट शर्तों को सहेजने और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए टैब अक्षम कर दिए जाएंगे। क्या यह सफल/लंबित है इसकी स्थिति बोली स्थिति बटन में प्रदर्शित की जाएगी।

c) सबसे पहले, वेंडर को वाणिज्यिक विनिर्देश, यदि कोई हो, भरना होगा और इसे सहेजना होगा। फिर वेंडर को तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भरनी चाहिए। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भरने के बाद, बोलीदाता को अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली दर्ज करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना चाहिए। एक बार ऐसा करने के बाद, मूल्य बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और उसे भरना होगा और फिर बोलीदाता को अपनी मूल्य बोली रिकॉर्ड करने के लिए "सहेजें" पर क्लिक करना चाहिए। फिर एक बार तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली दोनों को सहेज लेने के बाद, बोलीदाता अपनी बोली पंजीकृत करने के लिए "अंतिम सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकता है।

नोट: - अंतिम सबमिशन पर क्लिक करने के बाद "बोली हटाएं" विकल्प दिखाया जाएगा। यदि वेंडर अंतिम सबमिशन के बाद बोली को हटाना चाहता है और बोली को फिर से प्रस्तुत करना चाहता है, तो उसे बोली हटाएं पर क्लिक करना चाहिए और उसे फिर से सबमिट करना चाहिए और फिर से अंतिम सबमिशन पर क्लिक करना चाहिए।

- d) सभी मामलों में, बोलीदाता को अपनी बोली प्रस्तुत करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।
- e) पूरी ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, बोलीदाता एक-दूसरे के लिए और अन्य सभी के लिए पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे।
- f) ई-निविदा का काम पूर्व घोषित तारीख और समय से और ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए खुला रहेगा।
- g) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान जमा की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां बोलीदाता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस बोलीदाता द्वारा दी गई वैध बोली के रूप में माना जाएगा और खरीदार द्वारा इसकी स्वीकृति आपूर्ति/कार्य के निष्पादन के लिए

खरीदार और बोलीदाता के बीच एक बाध्यकारी संविदा बनाएगी। ऐसे सफल निविदाकर्ता को इसके बाद **आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार कहा जाएगा।**

- h) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां श्रेणी III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएं अन्यथा सिस्टम द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- i) क्रेता के पास कोई कारण बताए बिना निविदा को रद्द या अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित है।
- j) ई-निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों का कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है। **किसी भी बोलीदाता द्वारा ई-निविदा में बोली प्रस्तुत करना ई-निविदा के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है।**

माप की इकाई (यूओएम) ई-निविदा मंजिल में दर्शाई गई है। उद्धृत की जाने वाली दर **ई-निविदा मंजिल/निविदा दस्तावेज में दर्शाए गए यूओएम के अनुसार भारतीय रूपये में होनी चाहिए।**

तकनीकी और वित्तीय बोलियों के संबंध में सामान्य निर्देश

1. भाग- I (तकनीकी बोली)

1.1 भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर द्वारा प्रति वर्ष ₹45,00,000/- (पैंतालीस लाख रुपये मात्र) की अनुमानित लागत पर आवश्यकता के आधार पर कारों को किराए पर लेने के उद्देश्य से अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाली प्रतिष्ठित और सक्षम कार हायरिंग एजेंसियों/कंपनियों के पैनल में शामिल करने के लिए दो भागों (भाग I - तकनीकी बोली और भाग II - वित्तीय बोली) में निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। प्रारंभ में 31 मार्च, 2027 तक की अवधि के लिए, सेवा प्रदाताओं के संतोषजनक कार्यानिष्ठादान के अधीन, या अन्य अवधियों/मापदंडों के लिए जैसा कि बैंक निर्णय ले सकता है, अधिकतम दो और वर्षों के लिए, एक बार में एक वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।

1.2 निविदा सभी अनुलग्नकों के साथ सभी प्रकार से पूर्ण होनी चाहिए। अपूर्ण प्रपत्र या उचित दस्तावेजी साक्ष्य आदि के बिना (जैसा कि सलाह दी गई है) बैंक द्वारा पूरी तरह से और सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

1.3 **निविदा दस्तावेज वेबसाइट** www.rbi.org.in और www.mstcecommerce.com से डाउनलोड किया जा सकता है। इस निविदा के संबंध में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण केवल वेबसाइट/ई-पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। निविदाकर्ता को उपरोक्त वेबसाइट पर किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण के लिए नियमित रूप से उपरोक्त वेबसाइट/ई-पोर्टल की जांच करनी चाहिए।

1.4 निविदाकर्ताओं को ई-निविदा के संबंध में निर्देशों के अनुसार, **09 मार्च, 2026 (सोमवार)** को या उससे पहले **14:00 बजे** तक सभी प्रकार से पूर्ण सभी सहायक दस्तावेजों के साथ अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए। निविदाकार ₹90,000/- (रुपये नब्बे हजार मात्र) की बयाना जमाराशि के साथ ई-निविदा प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, जो सभी प्रकार से और निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार पूर्ण होगा।

1.5 इच्छुक निविदाकर्ताओं की एक पूर्व-बोली बैठक 24 फरवरी, 2026 (मंगलवार) को 11:00 बजे आयोजित की जाएगी। बोली-पूर्व बैठक में भाग लेने के इच्छुक पक्ष bpsamantaray@rbi.org.in या alokpanigrahi@rbi.org.in को ईमेल के माध्यम से अनुरोध कर सकते हैं। बैंक उक्त बोली-पूर्व बैठक में निविदा के संबंध में निविदाकर्ताओं द्वारा उठाए गए किसी भी बिंदु/संदेह को स्पष्ट करेगा। इस बैठक के लिए बैंक द्वारा बैठक की तारीख या समय, यदि कोई हो, में परिवर्तन के अलावा कोई अलग संचार नहीं भेजा जाएगा। सभी इच्छुक निविदाकर्ताओं को उपस्थित रहने की सूचित किया जाता है। वे उन बिन्दुओं/शर्तों/विनिर्देशों का उल्लेख कर सकते हैं जिन्हें बैठक के दौरान स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता

है। इस बैठक के दौरान निविदाकर्ताओं से सभी मुद्दों को स्पष्ट करने की उम्मीद है। बोली-पूर्व बैठक के बाद किसी और स्पष्टीकरण/संदेह पर विचार नहीं किया जाएगा।

1.6 भाग- । (तकनीकी बोली) 09 मार्च, 2026 (सोमवार) को 15:00 बजे इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोला जाएगा। ऊपर बताई गई किसी भी तारीख को अवकाश घोषित किए जाने की स्थिति में, अगला कार्य दिवस यहां उल्लिखित संबंधित उद्देश्य के लिए संचालित हो जाएगा।

1.7 निविदा प्रस्तुत करने से पहले, निविदाकार कार्य के दायरे, करार और संविदा को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों के माध्यम से जा सकते हैं, जिस पर बैंक द्वारा कार्य प्रदान किया जाएगा और सफल निविदाकर्ता द्वारा निष्पादित किया जाना आवश्यक है। निविदाकर्ता पात्रता और उसमें निर्धारित अन्य मानदंडों के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर सकते हैं। इस संबंध में स्पष्टीकरण के लिए किसी भी प्रश्न या अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि यहां निर्दिष्ट नियम और शर्तें प्रकृति में सांकेतिक हैं और यह बैंक को सफल निविदाकर्ता के साथ समझौते को निष्पादित करने के समय इस तरह के आगे या अन्य नियमों और शर्तों पर सहमत होने के लिए निविदाकर्ता को लागू करने या आवश्यक करने से नहीं रोकेगा, या यहां निहित नियमों और शर्तों को बदलने, संशोधित करने या छोड़ने के लिए, इस निविदा के तहत दिए जाने वाले कार्य के उचित और उचित निष्पादन के लिए आवश्यक समझा जाता है।

1.8 निविदाकर्ता का निविदाकर्ता/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अपलोड करने से पहले निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा।

1.9 कोटेशन में सुधार, यदि कोई हो, पूर्ण हस्ताक्षर के साथ विधिवत प्रमाणित किया जाएगा।

1.10 पहले चरण में, तकनीकी बोलियां खोली जाएंगी। किसी भी निविदाकर्ता की बोली जिसने नियम और शर्तों में निर्धारित एक या अधिक शर्तों का पालन नहीं किया है, उसे सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। इसके बाद, चयनित तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन निविदा दस्तावेज के मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार किया जाएगा। इस संबंध में निर्णय बैंक के विवेकाधिकार पर होगा।

1.11 सूचना के मिथ्याकरण/दमन से ठेका की अवधि के दौरान कार्य प्रदान करने के बाद भी निविदाकर्ता की अयोग्यता होगी/संविदा रद्द हो जाएगा।

1.12 प्रत्येक निविदाकर्ता (साझेदारी फर्म/संयुक्त उद्यम/कंसोर्टियम के मामले में प्रत्येक सदस्य) या किसी भी सहयोगी को अपनी बोली के साथ पुष्टि करने और घोषित करने की आवश्यकता है कि कोई भी एजेंट, बिचौलिया, या कोई मध्यस्थ इस संविदा के अवार्ड और कार्यनिष्पादन से संबंधित कोई सेवा, या कोई अन्य वस्तु या कार्य प्रदान करने के लिए नहीं लगाया जाएगा। उन्हें आगे पुष्टि करनी होगी और घोषणा करनी होगी कि कोई भी एजेंसी कमीशन या कोई भी भुगतान जिसे एजेंसी कमीशन के रूप में माना जा सकता है और निविदा मूल्य में ऐसी कोई राशि शामिल नहीं होगी। यदि बैंक बाद में इसके

विपरीत पाता है, तो वह निविदाकर्ता को गैर-अनुपालन घोषित करने और किसी भी संविदा को घोषित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है यदि पहले से ही निविदाकर्ता को प्रदान किया गया है, तो यह अमान्य और शून्य है।

1.13 किसी बोली की स्वीकृति को प्रभावित करने की वृष्टि से किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी लाभ या किसी अन्य प्रलोभन का प्रचार या पेशकश करना संबंधित कानूनों के तहत अपराध होगा जैसा कि मामले में लागू होता है। इस तरह की कार्रवाई के परिणामस्वरूप अन्य दंडात्मक उपायों के अलावा, बोली की अस्वीकृति होगी।

1.14 बैंक अपने ग्राहकों और बैंकरों से निविदाकर्ता के पिछले कार्यनिष्ठादन पर रिपोर्ट प्राप्त करेगा। बैंक निविदाओं की मूल्य बोली खोलने से पहले उक्त रिपोर्टों का मूल्यांकन करेगा। यदि किसी निविदाकर्ता को किसी भी समय निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक पात्रता नहीं पाई जाती है और/या उसके ग्राहकों से प्राप्त उसकी कार्यनिष्ठादन रिपोर्ट और/या उसके बैंकरों की रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाती है, तो बैंक उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और उसका ईएमडी वापस कर दिया जाएगा। बैंक ऐसा करने के लिए कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।

1.15 यह निविदा दस्तावेज न तो एक प्रस्ताव पत्र है और न ही एक कानूनी संविदा है, लेकिन संभावित ठेकेदारों से प्रस्ताव के लिए एक निमंत्रण है। इस निविदा-प्रक्रिया से बैंक की ओर से कोई भी संविदात्मक दायित्व तब तक उत्पन्न नहीं होगा जब तक कि बैंक और ठेकेदार के विधिवत अधिकृत अधिकारियों द्वारा औपचारिक संविदा पर हस्ताक्षर और निष्ठादन नहीं किया जाता है। इसके अलावा, बैंक इस निविदा के जवाब की तैयारी में ठेकेदार द्वारा किए गए किसी भी लागत के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ठेकेदार के प्रस्ताव की तैयारी बैंक द्वारा निविदा में शामिल किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए किसी भी दायित्व के बिना की जाएगी, या ठेकेदार के प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के कारणों पर चर्चा करने के लिए। वेंडर द्वारा अपने प्रस्ताव में दी गई सभी जानकारी को पूरी तरह से गोपनीय माना जाएगा।

1.16 बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे तालिका 1 और 2 में निर्दिष्ट बेंचमार्क दर से ऊपर की कीमत का उल्लेख करें।

1.17 बेंचमार्क दर से कम कीमत का उल्लेख करने के मामले में, बोली को बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा।

1.18 निविदा में भाग लेने के लिए पात्रता मानदंड -

i. परिवहन सेवा प्रदान करने के क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों के दौरान तीन साल का न्यूनतम अनुभव आवश्यक है।

ii. 31 मार्च, 2025 तक पिछले पांच वर्षों के दौरान कम से कम तीन लगातार वर्षों के लिए कम से कम तीन सरकारी/अर्ध-सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों/बहुराष्ट्रीय कंपनियों/प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र के संगठनों को कार किराए पर लेने की सेवाएं प्रदान करनी चाहिए ("अनुलग्नक I" के अनुसार अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें)।

iii. निविदा फर्मों/कंपनी के पास 10 (दस) कारों की न्यूनतम फ्लीट होनी चाहिए जिसमें निम्नलिखित कारें शामिल हों:

कार की श्रेणी	कार सेगमेंट	वाहन का विवरण
श्रेणी I	(मिड सेगमेंट सेडान)	Maruti Dzire, Honda Amaze, Hyundai Aura और किसी भी प्रकार की EV या Hybrid समान श्रेणी (या समकक्ष)
श्रेणी II	(हायर सेगमेंट सेडान)	Honda City, Hyundai Verna, Maruti Ciaz, Tata Curvv, Skoda Slavia और समान श्रेणी (या समकक्ष) में किसी भी प्रकार की EV या Hybrid
श्रेणी III	(एमयूवी/7-सीटर)	Kia Carens, Maruti Ertiga, Toyota Rumion, Renault Triber, Bolero Neo, Creta, Seltos, XUV 700, Scorpio और किसी भी प्रकार की EV या Hybrid समान श्रेणी (या समकक्ष) में
श्रेणी IV	(एमपीवी)	Innova Crysta, Innova Hycross, Maruti Invicto, Tata Harrier और समान श्रेणी (या समकक्ष) में किसी भी प्रकार की EV या Hybrid
श्रेणी V	(हाइब्रिड एमपीवी)	Innova Hycross Hybrid, Maruti Invicto Hybrid और समान श्रेणी में किसी भी प्रकार की EV या Hybrid (या समकक्ष)
श्रेणी VI	लक्ज़री एसयूवी	किआ कार्निवल/फॉर्चूनर और समान श्रेणी में किसी भी प्रकार की ईवी या हाइब्रिड (या समकक्ष)

iv. बेडे में श्रेणी I और II में न्यूनतम 02 कारें, श्रेणी IV में 2 कारें, किसी भी श्रेणी I-VI में शेष 6 कारें शामिल होनी चाहिए और जिन्हें निविदा फर्म द्वारा पट्टे पर लिया जाना चाहिए। सभी निविदाकर्ताओं को सभी श्रेणी की कारों के लिए अपनी मूल्य बोली प्रस्तुत करनी होगी। वाहन 04 वर्ष से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए (2022 - 2025 के बीच पंजीकरण)। वाहनों को वाणिज्यिक वाहन के रूप में आरटीओ के साथ पंजीकृत होना चाहिए।

बैंक को प्रदान किए गए सभी वाहनों के पास वैध टैक्सी परमिट (वाणिज्यिक) और अन्य सभी वैधानिक मंजूरी होनी चाहिए।

vi. निविदा फर्मो/कंपनियों के पास सभी लागू कर पंजीकरण जैसे पैन, टीआईएन, जीएसटीआईएन, आदि होने चाहिए (उसी की प्रतियां संलग्न करें)।

vii. निविदा फर्मो/कंपनी के पास भुवनेश्वर में अपना कार्यालय होना चाहिए (दस्तावेजी प्रमाण संलग्न करें)। यदि निविदाकर्ताओं के पास भुवनेश्वर में कार्यालय सेटअप नहीं है, तो सफल निविदाकर्ता बेहतर सेवाएं और प्रभावी समन्वय प्रदान करने के लिए भुवनेश्वर में कार्यालय स्थापित करने की व्यवस्था करेगा।

viii. निविदा फर्मो/कंपनी के पास भुगतान करने के लिए एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में एक चालू खाता होना चाहिए (दस्तावेजी प्रमाण संलग्न करें)।

ix. निविदा देने वाली फर्मो/कंपनियों को पिछले लगातार चार (या तीन वित्तीय वर्षों में से किसी एक) वित्तीय वर्षों, यानी वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2024-25 में लाभ कमाने वाली इकाई होनी चाहिए।

x. निविदा देने वाली फर्मो/कंपनियों को पिछले लगातार तीन वित्तीय वर्षों यानी वित्त वर्ष 2022-23, वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न पावती/मूल्यांकन आदेश प्रस्तुत करना चाहिए।

xi. निविदाकर्ता को सेवा प्रदान किए गए ग्राहकों (वर्तमान और पिछले) की सूची प्रस्तुत करनी चाहिए। निविदाकर्ता को उन संगठनों/कंपनियों के संदर्भ भी देने होंगे जहां वह पिछले तीन वर्षों के दौरान वाहन किराए पर सेवाएं प्रदान कर रहा है।

xii. एक निविदाकर्ता का ट्रैक रिकॉर्ड अवैध गतिविधियों या वित्तीय धोखाधड़ी में किसी भी भागीदारी के बिना साफ होना चाहिए। प्रोपराइटरशिप/पार्टनरशिप फर्म/कंपनी के मामले में निविदाकर्ता या प्रोपराइटर/पार्टनरशिप/पार्टनर्स/निदेशकों के खिलाफ पुलिस/कोर्ट/रेगुलेटरी अथॉरिटीज के पास ऐसा कोई मामला नहीं होना चाहिए।

xiii. किसी भी प्राधिकरण द्वारा किसी भी वैधानिक कानून के उल्लंघन के लिए निविदाकर्ता पर मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए या कोई जुर्माना नहीं भुगतना चाहिए।

xiv. निविदाकर्ता को किसी भी आधार पर भारत में किसी भी स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक सहित किसी भी संगठन द्वारा निलंबित/सूचीबद्ध/काली सूचीबद्ध/प्रतिबंधित या उसके खिलाफ शुरू की गई ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए (इस संबंध में लेटरहेड पर स्व-घोषणा प्रस्तुत की जानी चाहिए)।

xv. निविदाकर्ता को संविदा की निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले अपने किसी भी ग्राहक द्वारा दिए गए किसी भी संविदा को रद्द या त्यागना नहीं चाहिए। निविदाकर्ता अपने ग्राहकों के साथ अपने सभी विवादों का विवरण देगा और उसकी वर्तमान स्थिति प्रस्तुत करेगा।

xvi. निविदाकर्ता के पास टूर्स एंड ट्रेवल्स चलाने के लिए एक वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए। (प्रतियां एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी)

xvii. सभी वाहनों में पर्याप्त संतुलन के साथ फास्ट टैग होना चाहिए।

xviii. सभी वाहनों के पास वैध पीयूसी, फिटनेस प्रमाण पत्र और व्यापक वाहन बीमा पॉलिसी होनी चाहिए। निविदाकर्ता उपरोक्त सभी पात्रता मानदंडों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, साथ ही ऊपर उल्लिखित अन्य नियमों और शर्तों के समर्थन में, जहां भी लागू हो।

1.19 कंपनी/फर्म/एजेंसी का विवरण

ए) कंपनी/फर्म/एजेंसी का पूरा विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। किसी कंपनी के मामले में, कंपनी के पंजीकरण प्रमाण पत्र, ज्ञापन और एसोसिएशन के लेख और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज और सभी निदेशकों और जिम्मेदार अधिकारियों के विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। एक साझेदारी फर्म के मामले में, साझेदारी विलेख, पावर ऑफ अटॉर्नी, यदि कोई हो और फर्म का गठन करने वाले सभी भागीदारों का विवरण; और किसी एजेंसी या स्वामित्व के मामले में, उसमें शामिल व्यक्तियों का विवरण नाम और पते आदि के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। स्वामित्व के मामले में, विधिवत निष्पादित और पंजीकृत असाइनमेंट विलेख स्पष्ट रूप से उस प्रतिनिधि की पहचान करता है जो मालिक की मृत्यु के मामले में संविदात्मक दायित्व को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगा, भी प्रस्तुत किया जाएगा। हालांकि, ऐसी स्थिति में विशुद्ध रूप से स्टॉप गैप व्यवस्था के रूप में, यह बैंक का विशेषाधिकार/अधिकार होगा कि वह शेष अवधि के लिए या जब तक एक नया समझौता निष्पादित नहीं किया जाता है, जो भी पहले हो, पहचाने गए प्रतिनिधि/समनुदेशिती के साथ संविदा जारी रखे।

बी) कार्य आदेशों, दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों द्वारा समर्थित पात्रता मानदंड में आवश्यकताओं के अनुसार कार्य अनुभव का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। किसी अन्य केंद्र में भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए कार्य करने के पिछले अनुभव, यदि कोई हो, के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ विवरण भी दिया जाना चाहिए। सी) नवीनतम अंतिम आदेश के साथ आयकर निर्धारण आदेश।

1.20 तकनीकी बोली के लिए अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज - ई-निविदा प्रस्तुत करते समय पीडीएफ प्रारूप में 'www.mstcecommerce.com' पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड किए जाने वाले मूल दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति (प्रत्येक फ़ाइल का आकार 5 एमबी से अधिक नहीं होना चाहिए)

1. करार, कार्य के दायरे और विधिवत हस्ताक्षरित संविदा को नियंत्रित करने वाले नियम और शर्तों का पूरा सेट संलग्न करें।
2. शामिल दस्तावेज।

3. पिछले 3 लेखा वर्षों यानी वित्त वर्ष 2022-23, वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न/मूल्यांकन आदेश।
4. पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी), टैक्सी परमिट, पीयूसी और फिटनेस प्रमाण पत्र और वाहन बीमा की फोटोकॉपी
5. बेड़े में सभी पट्टे पर दिए गए वाहनों के लिए लीज समझौते की प्रतियां
6. वर्तमान और पिछले ग्राहकों की सूची।
7. कार्य आदेश, पूर्णता प्रमाण पत्र और अन्य विवरणों द्वारा समर्थित कार्य अनुभव से संबंधित सभी दस्तावेज।
8. पैन, डीआईएन/टीआईएन और जीएसटी पंजीकरण की प्रति, दूर और ट्रैवल चलाने के लिए वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र।
9. निलंबन/काली सूची में डालने आदि के संबंध में लेटरहेड पर स्व-घोषणा।
10. सभी स्वामित्व वाले/पट्टे पर दिए गए वाहनों के वाहन का निर्माण, पंजीकरण संख्या, मॉडल, विनिर्माण का वर्ष आदि जैसे विवरण (उपरोक्त खंड 1.16 (iii) के अनुसार न्यूनतम 10 आवश्यक)।
11. निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों के नाम पर कंपनी/फर्म की मुहर के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी/प्राधिकार।
12. फर्म/एजेंसी के प्रत्येक अधिकृत व्यक्ति का नाम, पदनाम और पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि के साथ एक स्व-सत्यापित हाल ही में पासपोर्ट आकार का फोटो।
13. कोई अन्य जानकारी जो निविदाकर्ता प्रस्तुत करना चाहता है (कोई भी मुकदमेबाजी, अदालत का मामला आदि)।

1.21 आवेदन करने के इच्छुक आवेदकों को अपनी आवश्यक पात्रता के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके बैंक को संतुष्ट करना होगा और ऐसा करने में उनकी विफलता की स्थिति में, बैंक उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक उपर्युक्त दस्तावेजों में से किसी के प्रमाण/सत्यापन के लिए कॉल करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

1.22 निविदा आवेदन ईएमडी के उद्देश्य के लिए उल्लिखित बैंक खाते में एनईएफटी के माध्यम से निविदा की अनुसूची में दिए गए बैंक विवरण में बयाना धन जमा (ईएमडी) के लिए ₹90,000 / - (रुपये 90,000 रुपये केवल) प्रस्तुत करने के प्रमाण के विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसके बिना आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। ईएमडी में कोई ब्याज नहीं लगेगा। असफल निविदाकारों के ईएमडी को संविदा देने के 10 कार्य दिवसों के भीतर वापस कर दिया जाएगा और ऐसे पैसे पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

1.23 सफल निविदाकर्ता संविदा के साथ कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) या एनईएफटी (लाभार्थी का नाम: खाता संख्या-186004001, भारतीय रिजर्व बैंक, आईएफएससी कोड - RBISOBBPA01 (0 = शून्य), शाखा का नाम - भुवनेश्वर के माध्यम से प्रस्तुत करेगा, जो अनुमानित निविदा मूल्य के आधे से अधिक नहीं होगा। पीबीजी संविदा अवधि की समाप्ति के बाद दो महीने की अवधि के लिए वैध होगा। कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी/प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करने पर, ₹90,000/- (नब्बे हजार रुपये मात्र) का ईएमडी वेंडर को वापस कर दिया जाएगा। आरबीआई, भुवनेश्वर द्वारा संविदा के नवीनीकरण के मामले में बैंक गारंटी का नवीनीकरण एक और अवधि के लिए किया जाएगा। निष्पादन बैंक गारंटी/प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करने या संविदा पर हस्ताक्षर करने में सफल निविदाकर्ता की विफलता अवार्ड को रद्द करने, ईएमडी को जब्त करने और बैंक की सभी भविष्य की निविदाओं के लिए ऐसे निविदाकारों को काली सूची में डालने के लिए पर्याप्त आधार बनाएगी। संविदा अवधि पूरी होने के 2 महीने के बाद पीबीजी/प्रतिभूति जमा संविदा के सफल समापन से संतुष्ट होने और एजेंसी या उसके कर्मचारियों से कोई देनदारी सुनिश्चित करने के बाद ही ब्याज के बिना जारी किया जाएगा। किसी भी शिकायत या लंबित बकाया राशि के मामले में, सभी बकाया, देनदारियों आदि के भुगतान के बाद ही पीबीजी/प्रतिभूति जमा राशि का भुगतान किया जाएगा।

2. भाग- ॥ (वित्तीय बोली)

2.1 ऑनलाइन निविदा के भाग- ॥ में निर्धारित प्रारूप में केवल सेवा प्रदाता की उद्धृत दरें होनी चाहिए।

2.2 केवल उन निविदाकर्ताओं का भाग- ॥ (वित्तीय बोली) जो तकनीकी बोली (भाग- ।) में अर्हता प्राप्त करते हैं, बाद की तारीख को खोला जाएगा, जिसके लिए योग्य निविदाकर्ताओं को उनके द्वारा प्रस्तुत वैध ईमेल आईडी के माध्यम से सूचना दी जाएगी। निविदाकर्ता निविदा के भाग ॥ के उद्घाटन के दौरान उपस्थित होने का विकल्प चुन सकते हैं। निविदाकर्ताओं द्वारा वाहनों की प्रत्येक श्रेणी के तहत उद्धृत न्यूनतम दर अन्य सभी निविदाकर्ताओं (जिन्होंने सबसे कम दरों का उल्लेख नहीं किया है) के लिए उनकी सहमति पर लागू होगी। पैनल के लिए केवल उन निविदाकर्ताओं पर विचार किया जाएगा जो अन्य निविदाकारों द्वारा वाहनों की प्रत्येक श्रेणी के तहत उद्धृत न्यूनतम दरों पर काम करने के लिए लिखित रूप में सहमत होंगे।

2.3 वित्तीय बोली में दरें/उद्धरण दृढ़ और अंतिम होंगे और संविदा की अवधि के दौरान किसी भी बहाने से नहीं बढ़ाए जाएंगे और इस तरह निविदाकर्ता कीमतों में संभावित भविष्य के संशोधनों को ध्यान में रखते हुए अपनी दरों को उद्धृत कर सकते हैं। बैंक किसी भी परिस्थिति में संविदा की अवधि के दौरान दरों में संशोधन के लिए ठेकेदार के दावे पर विचार नहीं करेगा।

2.4 सभी वैधानिक कटौतियां, जैसा भी लागू हो, कंपनी/एजेंसी/फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों से की जाएंगी। इसलिए, वित्तीय बोली सभी समावेशी (जीएसटी को छोड़कर) होगी। लागू जीएसटी को बिल में अलग से दिखाया जा सकता है और पात्रता के अनुसार बैंक द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति या भुगतान किया जाएगा। बैंक जीएसटी प्रस्तुत करने वाले दस्तावेजी प्रमाण के लिए मांग सकता है।

2.5 वित्तीय बोली में केवल भारतीय रूपये में भरी गई कीमत को आंकड़ों में शामिल किया जाना चाहिए।

2.6 वित्तीय बोली सभी प्रकार से पूरी की जाएगी और निविदाकर्ता के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगाई जाएगी।

2.7 निविदा के भाग- ॥ में कोई नियम और शर्तें इंगित नहीं की जानी चाहिए। यदि कोई निविदा उसमें उल्लिखित शर्तों के साथ पाई जाती है, तो उसे "अमान्य" माना जाएगा।

3. निविदा खोलना

3.1 निविदा की वैधता: निविदा भाग- । के खुलने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए शुरू में वैध रहेगी, जिसे निविदाकर्ता द्वारा लिखित रूप में आपसी समझौते द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है और निविदाकर्ता इस अवधि के दौरान निविदा को रद्द या वापस नहीं लेगा या उद्धृत दरों को नहीं बदलेगा।

3.2 निविदा दस्तावेज जो निविदा दस्तावेज में निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन नहीं करते हैं, उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

3.3 तकनीकी और वाणिज्यिक दोनों बोलियों में ठेकेदार द्वारा कोई विचलन/शर्तें निर्धारित नहीं की जाएंगी। सशर्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी और सरसरी तौर पर खारिज कर दी जाएंगी।

3.4 बैंक सबसे कम निविदा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

3.5 बैंक किसी भी कारण से और किसी भी समय परिशिष्ट/शुद्धिपत्र जारी करके निविदा दस्तावेज को संशोधित कर सकता है। निविदा दस्तावेज में ऐसा कोई भी परिशिष्ट/शुद्धिपत्र निविदा दस्तावेज का हिस्सा होगा। निविदाकर्ताओं को अपने प्रस्ताव तैयार करने में किसी भी परिशिष्ट/शुद्धिपत्र को ध्यान में रखने के लिए उचित समय देने के लिए, यदि आवश्यक हो, तो बैंक प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख बढ़ा सकता है।

नोट: सभी निविदाकर्ता कृपया ध्यान दें कि निविदा में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र, यदि भविष्य में जारी किया जाता है, तो आरबीआई की वेबसाइट और एमएसटीसी वेबसाइट पर ऊपर दिए गए अनुसार अधिसूचित किया जाएगा और समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने उपरोक्त सभी निर्देशों/शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उनका पालन करने के लिए सहमत हैं।

स्थान:

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर

दिनांक:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर (बैंक) को कार उपलब्ध कराने के लिए वेंडर द्वारा पालन किए

जाने वाले कार्य का व्यापक दायरा और दिशानिर्देशः

- A. वाहन की स्थिति और वाहन में अधिति को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं।
- बैंक द्वारा / बैंक द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जब भी मांग की जाती है (जो मौखिक या ईमेल/लिखित निर्देश हो सकते हैं) एसी वाहन चालक द्वारा चालित सड़क पर सुचारू रूप से चलने योग्य वाहन प्रदान करना। निविदाकर्ताओं को बैंक से पूछे जाने पर कम समय में कार उपलब्ध कराने की भी आवश्यकता होती है (जैसे कि आपात स्थिति के मामले में एक घंटे के भीतर)।
 - वेंडर यह सुनिश्चित करेगा कि प्रदान की गई कारें ऊँटी की तारीख को 4 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए और सभी वाहनों को अच्छी तरह से बनाए रखा जाना चाहिए और अच्छी तरह से स्वच्छ स्थिति में होना चाहिए, इसके असबाब आदि को उचित आकार में, बिना किसी डेंट या दाग के। ऊँटी पर भेजने से पहले इसे ठीक से धोया जाना चाहिए और साफ और साफ सीट कवर प्रदान किया जाना चाहिए।
 - सभी वाहनों को (i) 500 मिलीलीटर के ब्रांडेड मिनरल वाटर की दो बोतलें (बिसलेरी, किनले, एकाफिना, बेली, हिमालय या समकक्ष) (ii) छाता (iii) प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, (iv) अप्लिशामक यंत्र (v) यूनिवर्सल मोबाइल चार्जर प्रदान किया जाना चाहिए और वाहनों (श्रेणी III, IV, V और जब बैंक द्वारा अनुरोध किया जाता है) को अतिरिक्त रूप से (i) एक अंग्रेजी या हिंदी दैनिक और एक वित्तीय समाचार पत्र (ii) अच्छी गुणवत्ता वाले फेस टिशू पेपर (मैस/पाउच (गीले और सूखे) (iii) सीलबंद पैकेट/कवर में दो डिस्पोजेबल फेस मास्क, (iv) अल्कोहल-आधारित हैंड सैनिटाइज़र (न्यूनतम 70% अल्कोहल) प्रदान किया जाना चाहिए।

इन सुविधाओं के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान ही किया जाएगा।

क्र.सं.	आइटम विवरण	कीमत	कार में रखने के लिए
1	एक अंग्रेजी या हिंदी दैनिक और एक वित्तीय समाचार पत्र	एमआरपी के अनुसार	प्रत्येक दिन
2	500 मिलीलीटर के ब्रांडेड मिनरल वाटर की दो बोतलें	एमआरपी के अनुसार	प्रत्येक दिन
3	पाउच में अच्छी गुणवत्ता वाले फेस टिशू पेपर (गीले और सूखे)	एमआरपी के अनुसार	प्रत्येक यात्रा
4	सीलबंद पैकेट/कवर में दो डिस्पोजेबल फेस मास्क	एमआरपी के अनुसार	प्रत्येक यात्रा
5	अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइज़र 50 मिली (न्यूनतम 70% अल्कोहल)	एमआरपी के अनुसार	प्रत्येक यात्रा

4. वेंडर को वाणिज्यिक वाहन के रूप में आरटीओ के साथ पंजीकृत वैध टैक्सी परमिट (स्थानीय और अखिल भारतीय) वाले वाहन और अन्य वैधानिक मंजूरी प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। वेंडर/निविदा फर्म/कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि समझौते की अवधि के दौरान, प्रदान किए गए वाहन पंजीकृत हैं और समय-समय पर संशोधित मोटर वाहन अधिनियम का अनुपालन करते हैं। टूर एंड ट्रैवल सेवाएं चलाने के लिए एजेंसियों के पास आवश्यक व्यापार लाइसेंस प्रमाण पत्र होना चाहिए। बैंक के मेहमानों/अधिकारियों के साथ ऊटी के लिए वेंडर द्वारा तैनात सभी कारें वाणिज्यिक प्रकृति की होनी चाहिए अर्थात् उन्हें वाणिज्यिक वाहन के रूप में आरटीओ के साथ पंजीकृत होना चाहिए। टैक्सी परमिट के दस्तावेजी साक्ष्य भारतीय रिजर्व बैंक को मांगे जाने पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

5. उद्धृत दरें भारतीय रूपये में होनी चाहिए और केंद्र/राज्य सरकार और स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए सभी लागू करों, जीएसटी, स्थानीय शुल्कों, शुल्कों, प्रभारों आदि को छोड़कर।

6. यदि वेंडर कार की श्रेणी प्रदान करने में सक्षम नहीं है जिसके लिए बैंक द्वारा बुकिंग की गई है, तो वह बैंक को सूचित करने के बाद वाहन की उच्च श्रेणी प्रदान कर सकता है। हालांकि, बैंक द्वारा बुक किए गए वाहन की श्रेणी के लिए भुगतान किया जाएगा।

7. निविदाकर्ता का कार्यालय और गेराज स्थान भुवनेश्वर में होना चाहिए।

8. कार किराए पर लेने/कार किराए पर लेने वाली एजेंसियों द्वारा लिखित रूप में यह बताने के बाद अंतिम पैनल बनाया जाएगा कि बैंक द्वारा निर्धारित दरें और निविदा दस्तावेज में सूचीबद्ध नियम और शर्तें उन्हें पूरी तरह से स्वीकार्य हैं और उनके द्वारा दिशानिर्देशों/निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन किया जाएगा।

9. कार किराए पर लेने वाली एजेंसी/कंपनी जीएसटी (गैर-कॉर्पोरेट एजेंसियों के लिए, बैंक जीएसटी का भुगतान करेगा) और कार किराए पर लेने वाली एजेंसी/कंपनी द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं पर केंद्र/राज्य सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगाए गए किसी भी अन्य कर/शुल्क के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगी। निविदाकर्ता के पास एक वैध और सक्रिय जीएसटीआईएन होना चाहिए और इसे उठाए गए चालान में शामिल किया जाना चाहिए। जीएसटीआईएन की समाप्ति के कारण वैधानिक दायित्व वेंडर की एकमात्र जिम्मेदारी होगी।

10. कार्य के लिए तैनात चालक की उचित पहचान के उद्देश्य से, निविदाकर्ता उनकी तस्वीरों/पहचान आदि वाले पहचान पत्र जारी करेगा और ऐसे चालक ऊटी के समय अपने पहचान पत्र प्रदर्शित करेंगे।

11. किसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप संपत्ति या जीवन को नुकसान या क्षति होती है, किसी भी कानूनी या वित्तीय निहितार्थ के लिए एकमात्र जिम्मेदारी एजेंसी/वेंडर के पास निहित होगी। बैंक की कोई देयता नहीं होगी। यदि वाहन दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो दिन के लिए कोई भुगतान स्वीकार्य नहीं है।

12. सफल निविदाकर्ता स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के चौदह दिनों के भीतर लागू मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर बैंक के साथ एक करार निष्पादित करेगा। हालांकि, बैंक द्वारा स्वीकृति पत्र जारी करने को बाध्यकारी संविदा के रूप में माना जाएगा, जैसे कि इस तरह के एक समझौते को निष्पादित किया गया है और समझौते के सभी नियम और शर्तें लागू होंगी। समझौते के निष्पादन के लिए स्टांप शुल्क सहित सभी खर्च वेंडर द्वारा वहन और भुगतान किए जाएंगे।

13. बैंक पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर आगे की अवधि (अधिकतम दो वर्ष, एक समय में एक वर्ष) के लिए संविदा का विस्तार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। श्रम कानूनों या ईंधन मूल्य निर्धारण, मुद्रास्फीति आदि को प्रभावित करने वाले सरकार के निर्णय में होने वाले प्रमुख परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए संविदा के नवीकरण के समय दरों की समीक्षा की जा सकती है। किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को इस तरह की समाप्ति के लिखित रूप में एक महीने का नोटिस देकर संविदा समाप्त किया जा सकता है। हालांकि, वेंडर नोटिस अवधि के दौरान संविदात्मक दायित्व का निर्वहन करना जारी रखेगा जब तक कि बैंक द्वारा वितरित नहीं किया जाता है। यदि वेंडर नोटिस अवधि के दौरान अपने किसी भी दायित्व/कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहता है, तो बैंक अपनी प्रतिभूति जमा राशि को जब्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

14. सफल निविदाकर्ता इस संविदा के संबंध में भारत में कर कानूनों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेगा और इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। सफल निविदाकर्ता हर साल रिटर्न दाखिल करने के प्रमाण वाली पावती की प्रतियां प्रस्तुत करेगा और उसके संबंध में सफल निविदाकर्ता के कर, ब्याज, जुर्माना आदि के किसी भी दायित्व के खिलाफ बैंक को पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करेगा, जो उत्पन्न हो सकता है।

15. यदि कोई भी निविदाकर्ता जिसने अतीत में बैंक के अन्य कार्यालयों में इसी तरह की सेवाएं प्रदान की हैं और जिनकी सेवाएं या तो गैर-निष्पादन के कारण बंद कर दी गई थीं या जिनकी सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई गई थीं और उन्हें लिखित रूप में सूचित किया गया है, तो बैंक को बिना कोई कारण बताए या आगे स्पष्टीकरण मांगे उस निविदाकर्ता (निविदाओं) की बोली को अस्वीकार करने का अधिकार है और उनकी मूल्य बोली नहीं खोली जाएगी।

16. समय की पाबंदी और सेवा की गुणवत्ता समझौते का सार होगी। इसलिए, समझौते का नवीनीकरण वेंडर द्वारा समय की पाबंदी और संतोषजनक कार्यनिष्पादन के अधीन होगा। निविदाकर्ता या उसके एजेंट/कर्मचारी/ड्राइवर जो यहां उल्लिखित नियमों और शर्तों का उल्लंघन करते हैं और/या

असंतोषजनक सेवाएं प्रदान करते हैं, बैंक की राय में, बिना किसी सूचना या उसके बदले किसी मुआवजे के समझौते को तुरंत समाप्त करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

17. यद्यपि निविदा दस्तावेज तैयार करते समय पर्याप्त सावधानी बरती गई है, निविदाकर्ता स्वयं को संतुष्ट करेंगे कि दस्तावेज सभी प्रकार से पूर्ण है। किसी भी विसंगति की सूचना इस कार्यालय को तुरंत दी जाएगी। यदि निविदा आमंत्रित करने की सूचना की तारीख से सात दिनों के भीतर किसी भी निविदाकर्ता से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि यह दस्तावेज सभी मामलों में पूर्ण है। बैंक सभी प्रारूपों और अनुलग्नकों सहित इस दस्तावेज को संशोधित करने, संशोधित करने या पूरक करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। हालांकि यह दस्तावेज अच्छे विश्वास में तैयार किया गया है, न तो बैंक और न ही उनके कर्मचारी या सलाहकार यहां किसी भी बयान या चूक के संबंध में, या सूचना की सटीकता, पूर्णता या विश्वसनीयता के संबंध में कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी, व्यक्त या निहित, या किसी भी जिम्मेदारी या दायित्व को स्वीकार करते हैं, और किसी भी कानून के तहत कोई दायित्व नहीं होगा, इस दस्तावेज की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता के रूप में कानून, नियम या विनियम, भले ही कोई नुकसान या क्षति उनकी ओर से किसी भी कार्य या चूक के कारण हो।

18. बैंक निविदा उपलब्धता की अवधि बढ़ाने और/या तकनीकी और मूल्य बोलियों के खुलने की तारीख को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

19. इस संविदा के तहत किसी भी अधिकार या उपचार के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि वैंडर, एक व्यक्ति होने के नाते, मर जाता है, तो बैंक के पास इस तरह की समाप्ति के लिए कोई दायित्व उठाए बिना संविदा को समाप्त करने का विकल्प होगा।

20. यहां निर्दिष्ट नियम और शर्तें प्रकृति में सांकेतिक हैं और यह बैंक को सफल निविदाकर्ता के साथ समझौते को निष्पादित करने के समय इस तरह के आगे या अन्य नियमों और शर्तों पर सहमत होने के लिए निविदाकर्ता को लागू करने या आवश्यक करने से नहीं रोकेगा, या यहां निहित नियमों और शर्तों को बदलने, संशोधित करने या छोड़ने के लिए, इस निविदा के तहत सौंपे जा रहे कार्य के उचित और उचित निष्पादन के लिए आवश्यक समझा जाता है।

B. चालकों के लिए आचरण, व्यवहार और अन्य शर्तें

(a) चालक को बैंक के आने वाले अतारीख/अधिकारी के विवरण को दर्शाने वाली एक तख्ती ले जानी चाहिए और हवाई अड्डे से निकास बिंदु पर मेहमानों का स्वागत करने के लिए उपस्थित होना चाहिए।

- (b) तैनात किए गए ड्राइवरों के पास अच्छा नैतिक चरित्र और ड्राइविंग का उचित अनुभव होना चाहिए और अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए और अंग्रेजी और हिंदी में बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए।
- (c) ड्राइवर को चिकित्सकीय रूप से फिट होना चाहिए।
- (d) ड्राइवर के पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए और गंतव्य मार्ग से अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए। उसे मेहमान से मार्ग के बारे में नहीं पूछना चाहिए। उसे आपात स्थिति में मोबाइल फोन नेविगेशन मैप्स ऐप के उपयोग से भी परिचित होना चाहिए। बैंक मोबाइल फोन हैंडसेट या मोबाइल शुल्क के लिए कोई भुगतान नहीं करेगा।
- (e) चालक को वेंडर द्वारा प्रदान की गई साफ-सुधरी वर्दी में निर्दिष्ट स्थान और समय पर ऊँटी के लिए रिपोर्ट करना होगा।
- (f) बैंक के अतारीख/उपयोगकर्ता अधिकारी को रिपोर्ट करने के बाद ड्राइवर को हमेशा कार के साथ उपलब्ध रहना चाहिए और ड्राइवर को बैंक के अधिकृत अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना चाहिए और सुरक्षा और संरक्षा के संबंध में बैंक के नियमों और विनियमों का भी पालन करना चाहिए।
- (g) वेंडर द्वारा नियुक्त ड्राइवर/कर्मचारी बैंक के सुरक्षा अधिकारियों/गाड़ी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे और वाहनों/व्यक्तियों को मुख्य कार्यालय भवन के साथ-साथ आवासीय कॉलोनियों में आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा जांच से गुजरना होगा।
- (h) वेंडर द्वारा तैनात चालक को ऊँटी पर एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखना चाहिए, जिसे यातायात कर्मियों द्वारा मांग किए जाने पर उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। समय-समय पर उसके ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण और पुलिस सत्यापन की जिम्मेदारी वेंडर की होगी।
- (i) प्रत्येक वाहन से संबंधित सभी कागजात जैसे बीमा, पंजीकरण, रोड टैक्स, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, परमिट, वैध लाइसेंस आदि प्रत्येक वाहन में चालकों के पास आसानी से उपलब्ध होने चाहिए। सभी वाहनों में उचित स्टिकर के साथ वैध फास्टैग, उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट होनी चाहिए।
- (j) वेंडर द्वारा नियुक्त व्यक्ति वेंडर के कर्मचारी होंगे और न तो वेंडर और न ही उसके कर्मचारियों को बैंक में किसी भी रोजगार का दावा करने का कोई अधिकार होगा।

(k) ड्राइवर को दैनिक आधार पर माइलेज का उचित रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए और अधिकृत उपयोगकर्ता द्वारा इसे प्रमाणित करना चाहिए। चालक को यात्रा किए गए किलोमीटर, रिपोर्टिंग के समय, जारी करने का समय, यात्रा के प्रारंभ और अंत में मीटर रीडिंग आदि के पूर्ण विवरण के साथ ऊटी पर्ची रखनी चाहिए, जो सेवा का उपयोग करने वाले अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित है। वाहन का मेक और वाहन का पंजीकरण नंबर, जो अतारीख को प्रदान किया जाता है, ऊटी स्लिप पर उल्लेख किया जाना चाहिए।

(l) चालक को हर समय विनम्र, विनम्र और सेवा उन्मुख होना चाहिए। वह मांग पर अतारीख को अपना मोबाइल नंबर प्रदान करना चाहिए।

(m) ऊटी के दौरान ड्राइवर को हमेशा वर्दी पहननी चाहिए।

(iii) प्रचालनात्मक स्थितियाँ

(ए) वेंडर अनुरोध की गई तारीख और समय पर फोन पर लिखित अनुरोध या मौखिक निर्देश प्राप्त होने पर टैक्सी प्रदान करेगा। वेंडर को बैंक से अल्प सूचना पर टैक्सी प्रदान करने की भी आवश्यकता होगी (जैसे कि आपात स्थिति के मामले में एक घंटे के भीतर)। हमारे अनुरोध पर वाहन प्रदान करने से बार-बार इनकार करने की स्थिति में, या तो फोन पर मौखिक या लिखित रूप में, बैंक वेंडर को परिवहन प्रदाताओं के पैनल से हटाने के लिए स्वतंत्र होगा और उसकी प्रतिभूति जमा जब्त कर ली जाएगी।

(बी) वेंडर को बुकिंग की पुष्टि सीधे ई-मेल और एसएमएस के माध्यम से अतारीख को बतानी चाहिए और बिना किसी असफलता के कार के विवरण यानी कार का मेक/रंग, कार पंजीकरण संख्या, चालक का नाम और उसका मोबाइल नंबर कार डेस्क के अधिकारियों और उपयोगकर्ता के आगमन/प्रस्थान से कम से कम 8 घंटे पहले ई-मेल और एसएमएस के माध्यम से कार के उपयोगकर्ता को सूचित करना चाहिए।

(सी) बैंक को उपलब्ध कराए गए वाहन के खराब होने की स्थिति में वेंडर के पास आपातकालीन परिवहन की व्यवस्था करने की क्षमता होनी चाहिए।

(डी) प्राप्त न्यूनतम बोलियों (बेंचमार्क दरों से अधिक या बराबर) का विश्लेषण करने के लिए बोलीदाताओं द्वारा प्रत्येक वाहन और उसकी श्रेणी के लिए बोलीदाताओं द्वारा दी गई/उद्धृत की गई न्यूनतम दरों को अन्य सभी पात्र बोलीदाताओं को स्वीकृति के लिए पेश किया जाएगा।

(ई) यात्रा शुरू होने से पहले सेवा के प्रत्येक उपयोगकर्ता को एक फीडबैक फॉर्म (अनुलग्नक VI के अनुसार) प्रदान किया जाना चाहिए। इस फीडबैक फॉर्म पर उपयोगकर्ता के हस्ताक्षर प्राप्त किए जाने चाहिए और इसे भुगतान के लिए शुल्क पर्ची के साथ बैंक को जमा किया जाना चाहिए। यदि उपयोगकर्ता फीडबैक देने के लिए तैयार नहीं है, तो उपयोगकर्ता को ड्राइवर द्वारा फॉर्म की पहली पंक्ति में 'नहीं' पर टिक करने का अनुरोध किया जा सकता है (मैं यात्रा के लिए प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हूं/नहीं हूं) और फॉर्म पर हस्ताक्षर करें। फीडबैक फॉर्म के बिना/फीडबैक फॉर्म पर उपयोगकर्ता के हस्ताक्षर के बिना भुगतान के लिए भेजे गए चालान को बैंक द्वारा भुगतान से वंचित किया जा सकता है।

(iv) दंड

सेवाओं में कमी और बैंक और उसके अधिकारियों को होने वाली गंभीर असुविधा के लिए या जिनके लिए बैंक सेवाएं प्रदान करने का निर्देश देता है, संबंधित उदाहरण के लिए नीचे दिए गए अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना लगाने के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और वेंडर इस संबंध में बैंक के निर्णय को चुनौती नहीं देगा। जुर्माने की वसूली संबंधित बिल, अन्य लंबित बिलों से या प्रतिभूति जमा से कटौती के माध्यम से की जाएगी।

बैंक के पास वेंडर द्वारा प्रदान सेवा में किसी भी कमी/सेवा चूक/हानि के लिए जुर्माना लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसका उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन निविदा दस्तावेज के भाग। मैं शामिल है। यदि एक ही शुल्क में एक से अधिक कमी की सूचना मिलती है तो बैंक ऐसी सभी कमियों के लिए जुर्माना लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैं/हमने ऊपर उल्लिखित कार्य के दायरे और नियमों और शर्तों को स्पष्ट रूप से पढ़ लिया है और यदि प्रदान किया जाता है तो संविदा को निष्पादित करने के लिए इसे स्वीकार करते हैं।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर:

मुहर/स्टाम्प:

दिनांक:

स्थान:

करारनामा

निविदा सं. Tender No. _____ दिनांकित dated _____, 2026

यह करार प्रथम पक्ष के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक
जिसका क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर में है तथा इसके
कार्य के लिए अधिकृत अधिकारी

(इसके पश्चात इसे "बैंक" कहा जाएगा जिसका तात्पर्य¹
होगा कि संदर्भ के अनुसार इसमें उसके
उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे) और
दूसरे पक्ष के रूप में _____

जिसका पंजीकृत कार्यालय
_____ में है तथा इसके अधिकृत
अधिकारी श्री/सुश्री _____

(इसके पश्चात इसे "संविदाकार" कहा जाएगा जिसका
तात्पर्य होगा कि संदर्भ के अनुसार इसमें उसके
उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे) के
बीच _____ 2026 को किया गया।

This agreement is made on this _____ day of
_____, 2026 between the Reserve Bank
of India, having its Regional Office at
Bhubaneswar and acting through its
authorized _____ official
_____ (hereinafter
called the 'Bank' which expression shall,
where the context so admits include its
Successors and Assigns) of the ONE PART
AND _____ having its
registered office at _____ and
acting through its authorized official
Shri/Ms. _____
(hereinafter called the 'Vendor' which
expression shall, where the context so
admits include its Successors and Assigns)
of the SECOND PART.

जबकि बैंक नैमित्तिक किराया आधार पर कार
किराए पर लेने के प्रयोजन के लिए कार
हायरिंग/रेंट-ए-कार एजेंसीज/कंपनियों की तलाश
में था तथा उसने प्रमुख समाचार पत्रों / आरबीआई
वैबसाइट / एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से कथित
प्रयोजन के लिए निविदाएँ आमंत्रित की थीं।

WHEREAS the Bank was in lookout for car
hiring/ rent-a-car agencies/ companies for
the purpose of hiring cars on casual hiring
basis and invited tenders for the said
purpose through leading newspapers, RBI
website and MSTC portal;

और जबकि बैंक को विभिन्न ट्रांसपोर्टरों/एजेंसियों से
अनेक निविदाएं प्राप्त हुईं तथा एजेंसि को निविदा
दिनांक _____ (इसके बाद निविदा दस्तावेज़ के

AND WHEREAS the Bank received bids
from various transporters/ agencies in
response to the tender and the Vendor has

<p>रूप में संदर्भित) के नियमों और शर्तों के अनुसार उपयुक्त पाया गया।</p>	<p>been selected as the successful bidder in accordance with the terms and conditions of the tender dated _____ (hereinafter referred to as Tender Document);</p>
<p>परिभाषाएं इस में, जब तक कि संदर्भ में किसी अन्य बात की अपेक्षा न हो :</p>	<p>Definitions In this Agreement, unless the context requires:</p>
<p>“करार” शब्द का तात्पर्य इसकी सभी शब्दावली सहित निविदा दस्तावेज में उल्लिखित शर्तों को संविदाकार द्वारा लिखित में स्वीकार की गई किसी बुकिंग से है।</p>	<p>“Agreement” means these terms together with any Booking accepted by the Vendor in writing and terms and conditions mentioned in Tender Document.</p>
<p>“निरस्तीकरण” से तात्पर्य बुकिंग की स्वीकृति के पश्चात बैंक के द्वारा सेवा के किसी निरस्तीकरण से है।</p>	<p>“Cancellation” means any cancellation by the Bank of the Services after acceptance of Booking.</p>
<p>“किराया अवधि” से तात्पर्य, बुकिंग में तय समयावधि अथवा जिस दौरान सेवाओं का निष्पादन किया गया है, इनमें से जो भी दीर्घ हो, से है, जैसा कि मैं संशोधित किया गया है या इस के अनुसरण में है।</p>	<p>“Hire Period” means the period of time set out in the Booking or during which the Services are performed, whichever is longer, as amended by agreement or in accordance with this Agreement.</p>
<p>“पिक अप पता” से तात्पर्य बुकिंग में दिए गए पते से है जहां से सेवाएं शुरू होंगी।</p>	<p>“Pick-up Address” means the address stated in the Booking where the Services will commence.</p>
<p>“पिक अप समय” से तात्पर्य बुकिंग की तारीख और समय अथवा दिए गए समय स्लॉट अथवा सेवाओं के निष्पादन की शुरुआत के लिए हमारे द्वारा आपको सूचित करने से है।</p>	<p>“Pick-up Time” means the date and the time or time slot set out in the Booking or communicated by the Bank to Vendor for commencement of performance of the Services.</p>

“बुकिंग” से तात्पर्य बैंक द्वारा कोई बुकिंग और संविदाकार द्वारा स्वीकार करने से है।	“Booking” means any booking from the Bank and acceptance by the Vendor.
“सेवाओं” से तात्पर्य पिक अप पते पर पिक अप समय से शुरू शॉफर चालित वाहन सेवाओं से है।	“Services” means the services of a chauffeur-driven Vehicle starting from the Pick-up Time at the Pick-up Address.
“अस्वीकार्य व्यवहार” से तात्पर्य सीट बेल्ट नहीं पहनने, दरवाजे खोलने या बंद करने (यह शॉफर द्वारा ही किया जाए) वाहन की खिड़की के बाहर झाँकने, सवारियों की संख्या को अनुमत अधिकतम से अधिक बढ़ाने, वाहन में धूम्रपान करने, शराब की हालत में होने अथवा अवैध पदार्थ रखने, हिंसक, आक्रामक होने, अथवा खतरा या स्वयं के लिए संभावित खतरा अथवा अन्य किसी व्यक्ति के लिए खतरा होने, अभद्र होने अथवा यात्रा के लिए किसी भी रूप में अनुपयुक्त होने की दशा से है।	“Unacceptable Behaviour” means not wearing a seat-belt, not opening or closing doors for the guest (this must be done by the chauffeur), smoking in the Vehicle, being under the influence of alcohol or under the influence of or in possession of any illegal substance, talking over mobile phone while driving, being violent, aggressive or a danger or potential danger to himself or any other person, being rowdy or being in any way in an unfit state to drive.
“वाहन” से तात्पर्य बुकिंग में संदर्भित पंजीकरण संख्या से है अथवा पक्षों द्वारा सहमत किसी प्रतिस्थापन वाहन से है।	“Vehicle” means the vehicle with the registration number referred to in the Booking or any replacement vehicle agreed by the parties.
“लेखन” में कोई लिखित पेपर दस्तावेज़, फैक्स, मोबाइल पाठ और कोई ईमेल पत्राचार शामिल है।	“writing” includes any written paper document, any fax, mobile text and any e-mail correspondence.
इसमें, जब तक कि, इस संदर्भ में अन्यत्र कोई अपेक्षा न की गई हो, जेंडर जैसे शब्दों के उल्लेख में सभी जेंडर शामिल हैं और एकवचन का उल्लेख करने वाले शब्दों में बहुवचन और इसका विपरीतार्थक शामिल हैं।	In this Agreement, unless the context requires otherwise, words denoting any gender include all genders and words denoting the singular include the plural and vice versa.

और जबकि पक्ष यहाँ पर दिए गए अनुसार कार्य करने के लिए सहमत हैं।	AND WHEREAS the parties have agreed to enter into an agreement herein contained.
गवाहों की उपस्थिति में, यह दोनों पक्षों के द्वारा और बीच निम्नानुसार सहमत और घोषित है :	NOW THESE PRESENT WITNESSES AND IT IS HEREBY AGREED AND DECLARED BY AND BETWEEN THE PARTIES TO THESE PRESENT AS FOLLOWINGS:
(1) बैंक कैजुअल हायरिंग के आधार पर कारों को किराए पर लेने के उद्देश्य से वेंडर की नियुक्ति करता है और संविदा आरबीआई द्वारा संविदा दिए जाने की तारीख से शुरू होगा और शुरू में 31 मार्च, 2027 तक लागू रहेगा। हालांकि, संविदा को कुछ समय के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। पार्टियों के बीच आपसी सहमति से मौजूदा/संशोधित नियमों और शर्तों पर आगे की अवधि।	(1) The Bank appoints the Vendor for the purpose of hiring cars on casual hiring basis and the contract shall commence from the date of awarding the contract by RBI and shall remain in force initially till March 31, 2027. However, the contract may be renewed for a further period on the existing/ revised terms and conditions to be mutually agreed upon between the parties.
(2) कि निविदा दस्तावेज और घोषणा इस समझौते का हिस्सा और इस समझौते का अभिन्न अंग होगा। विक्रेता निविदा दस्तावेज के सभी नियमों और शर्तों का पालन करेगा जो इस समझौते का हिस्सा हैं और इस समझौते का अभिन्न अंग हैं और निम्नलिखित भी हैं:	(2) That the Tender Document and declaration shall form part and parcel of this Agreement and integral part of this Agreement. The Vendor shall comply with all the terms and conditions of the Tender Document contained which are part and parcel of this Agreement and forms integral part of this Agreement and also the following:
(3) संविदाकार से वाहनों की आपूर्ति हेतु बैंक अपनी आवश्यकता के अनुसार आधिकारिक किराया आदेश देगा जिसे इसके बाद किराया आदेश कहा जाएगा एवं संविदाकार को इसकी पावती देनी होगी।	(3) The Bank shall place an order for their requirement on the official Hire order form (herein after called 'Hire-order) and will receive acknowledgement from the Vendor

<p>यह प्रत्याशित है कि जब ऐसी मांग की जाएगी और जब तक संविदा वैध है तथा के दोनों पक्ष संविदा के निष्पादन से संतुष्ट हों तब तक संविदाकार बैंक को नियमित आधार पर वाहनों की आपूर्ति करेगा।</p>	<p>for supply of vehicles. It is anticipated that the Vendor will supply vehicles to the Bank on regular basis as and when demanded until such time the contract is valid and the parties in Agreement are satisfied with the performance of the contract.</p>
<p>(4) वेंडर बैंक से सहमत है कि हर हायर ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट व्हीकल हायर के लिए इस एग्रीमेंट की शर्तों के अधीन होगा और इन शर्तों और हायर ऑर्डर की शर्तों के बीच किसी टकराव की स्थिति में, व्हीकल हायर के लिए इस एग्रीमेंट की शर्त ही मानी जाएंगी।</p>	<p>(4) The Vendor agrees with the Bank that every contract of hire order should be subject to the terms of this Agreement for vehicle Hire and in the event of a conflict between these terms and the terms in hire order, the terms of this Agreement for vehicle Hire shall prevail</p>
<p>(5) संविदाकार बैंक को तीन साल से अनधिक पुराने (ज्यूटि के दौरान) और केवल वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए पंजीकृत वाहन उपलब्ध कराएगा तथा ऐसे वाहनों पर देय कर, बीमा आदि का दायित्व संविदाकार का होगा।</p>	<p>(5) The Vendor will provide vehicles to the Bank not older than three years as on day of duty and registered for the commercial purpose only and taxes, insurance etc. due on such vehicles shall be the liability of the Vendor.</p>
<p>(6) संविदाकार को संविदा में दी गई सहमति या मांग के अनुसार विशेष मॉडल अथवा वाहन का मेक उपलब्ध कराना होगा। समान प्रकार के वाहनों के साथ प्रतिस्थापन का अधिकार केवल बैंक के पास सुरक्षित होगा। यदि किसी कारण वश, बैंक उपलब्ध कराए गए वाहन की दशा से संतुष्ट नहीं है तो संविदाकार के निकटतम कार्यालय को तुरंत सूचित किया जाएगा और उसे जरूरत के अनुसार इसके प्रतिस्थापन को स्वीकार करना होगा तथा ज़िम्मेदारी</p>	<p>(6) The Vendor shall provide the particular model or make of the vehicle as agreed upon in the contract or as demanded. The Bank reserves the right to substitute it with another similar vehicle. If for any reason whatsoever, the Bank is not satisfied with the condition of the vehicle provided, the Vendor's authorized personnel will be informed immediately and should provide</p>

<p>लेनी होगी। यदि किसी कारणवश, संविदाकार बैंक की मांग के अनुसार वाहन प्रतिस्थापित करने की स्थिति में नहीं है तब बैंक खुले बाजार से वाहन लेने के लिए स्वतंत्र होगा तथा इस पर हुए व्यय को संविदाकार को देय दावों से काट लिया जाएगा। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम तथा आपरेटर के लिए बाध्यकारी होगा। यह क्षतिपूर्ति कार्य के दायरे के पैरा (iv) बिंदु सं. (a) के अलावा होगी तथा दिशानिर्देशों का पालन किया जाए। दंड तथा क्षतिपूर्ति, यदि हो, की कटौती संविदाकार के लंबित बिल से की जाएगी।</p>	<p>a replacement of vehicle/ driver as per requirement. In case of failure, the Vendor will be responsible to compensate all expenses incurred by the Bank in this regard and the same will be deducted from the bill of the Vendor. Decision of the Bank in this regard will be final and binding on the operator. Such compensation may be in addition to any penalty imposed under Para (iv) of Scope of work and guidelines to be followed. Penalty and compensation, if any, will be deducted from any pending bill of the Vendor</p>
<p>(7) ठेकेदार बिल पाक्षिक आधार पर भुगतान के लिए बैंक को प्रस्तुत करेगा। सिवाय उन परिस्थितियों के जो कि बैंक के नियंत्रण से बाहर हों, बिल का भुगतान बिल प्रस्तुत करने के 45 दिन के अंदर कर दिया जाएगा। भुगतान इलैक्ट्रॉनिक तरीके से ही किया जाएगा।</p>	<p>(7) The Vendor will submit his bills to the Bank on fortnightly basis for release of payment by the Bank. Except under cases of circumstances beyond the control of the Bank, the payment of bills will be made within 45 days of production of bills. Payments will be made through electronic mode.</p>
<p>(8) विभिन्न श्रेणी की कारों के लिए दरें निविदा दस्तावेज़ के वित्तीय बोली के अनुसार लागू होगी।</p>	<p>(8) Rates applicable for various categories of cars shall be as per financial bid of the attached Tender Document.</p>
<p>(9) वाहन ड्राइवर को ठेकेदार द्वारा ऊटी स्लिप दी जानी चाहिए जिसमें तारीख, समय, वाहन का मेक एवं मॉडल, किलोमीटर रीडिंग, विजिट का स्थान भरा होना चाहिए और इस रसीद पर उपयोगकर्ता/ बैंक</p>	<p>(9) The driver of the vehicle provided by the Vendor shall carry with himself the duty slips given by the Vendor where date, time, kilometres reading, and places visited are</p>

<p>के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। इस ऊटी स्लिप के आधार पर, ठेकेदार द्वारा बैंक के समक्ष बिल प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दूरी की गणना गैराज से की जाएगी परन्तु इस संबंध में प्रभार्य दूरी उपयोगकर्ता के डिलीवरी प्टे और गैराज / सामान्य पार्किंग के बीच प्रत्येक ओर से 15 किलोमीटर से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>to be filled in and signed by the users/ Bank officials. On the basis of these duty slips, the bills shall be raised to the Bank by the Vendor. Counting of distance will be from garage, but chargeable distance in this respect shall not be more than 15 kilometres in each way between user delivery address and the garage/normal parking place.</p>
<p>(10) यदि ठेकेदार, बैंक को वाहन उपलब्ध करवाने में असफल होता है और यदि प्रदान की गई सेवाएं सतोषजनक नहीं हैं तो बैंक के पास संविदा को पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से निविदा दस्तावेज को समाप्त करने का अधिकार होगा।</p>	<p>(10) If the Vendor fails to provide the vehicle to the Bank and if the service is not found satisfactory enough, the Bank shall have the right to terminate the contract in whole or part.</p>
<p>(11) ऊटी पर रिपोर्ट करने के बाद वाहन के किसी भी यांत्रिक विफलता / खराब होने की स्थिति में ठेकेदार को इसी तरह के वाणिज्यिक वाहन के प्रतिस्थापन की व्यवस्था करनी होगी। इसका अनुपालन न करने की स्थिति में निविदा दस्तावेज के अनुसार दंड लगाया जाएगा।</p>	<p>(11) In the event of any mechanical failure/ breakdown of vehicle after it's reporting duty, the Vendor shall arrange for replacement by another commercial vehicle. Non-compliance may attract penalty as per Tender Document</p>
<p>(12) पिछले पैराग्राफ में उल्लिखित वाहन की आपूर्ति करने में यदि ठेकेदार विफल रहता है तो निविदा दस्तावेज के अनुसार दंड लगाया जाएगा।</p>	<p>(12) In the event of failure on the part of Vendor to supply vehicles as mentioned in the preceding paragraph, penalty as per Tender Document shall be imposed.</p>
<p>(13) किसी भी दुर्घटना के मामले में यदि संपत्ति या जीवन को नुकसान होता है तो किसी भी कानूनी या वित्तीय निहितार्थ के लिए एकमात्र जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। बैंक की कोई देयता नहीं होगी।</p>	<p>(13) In case of any accident resulting in loss or damage to property of life, the sole responsibility for any legal or financial implication would vest with the Vendor. Bank shall have no liability whatsoever.</p>

<p>(14) यदि ठेकेदार द्वारा प्रदान किए गए वाहन के संदर्भ में की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का विधिक विवाद/ केस / दावा यदि कोई होता है या हो सकता है तो उसके लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा। संविदाकार या तृतीय पक्ष, जैसी भी स्थिति हो, को हुई/ होने वाली किसी भी हानि, नुकसान आदि के लिए बैंक के का कोई दायित्व नहीं होगा।</p>	<p>(14) That the Vendor is liable for any legal dispute/cases/claims that have arisen or may arise during the currency of the Agreement in respect of vehicles provided by the Vendor. Bank will not be liable for any loss, damages, etc. suffered/ to be suffered by the Vendor or third party as the case may be.</p>
<p>(15) यदि किसी कारण से, किराया अवधि के दौरान बैंक, वाहन के स्तर से असंतुष्ट है अथवा सेवा में कोई कमी अनुभव करता है तो, ठेकेदार को लिखित रूप में रिपोर्ट किया जाएगा। बैंक द्वारा सेवा की गुणवत्ता एवं उपलब्ध कराए गए वाहन के स्तर के संबंध में किए गए मूल्यांकन पर बिना कोई विवाद किए ठेकेदार ऐसी शिकायत मिलने पर इस वाहन को दूसरे वाणिज्यिक वाहन से तुरंत बदलेगा।</p>	<p>(15) If for any reason, the Bank is dissatisfied in any way with the standard of the vehicle or felt deficiency in service during the hire period, it will be reported to the Vendor in writing. The Vendor without raising any dispute on such assessment by the Bank regarding the standard of the vehicle provided or quality of service rendered by them may immediately replace it with another commercial vehicle on receipt of such complaint.</p>
<p>(16) सम्पूर्ण संविदा अवधि के दौरान संविदा के विधिवत निष्पादन के लिए संविदाकार ने निष्पादन जमानत के रूप में बैंक के पास _____ को ₹ _____ की जमाराशि की है। यह राशि, संविदा के निरस्त होने के 6 माह के पश्चात एवं इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने कि भुगतान हेतु बैंक के पास कोई बिल लंबित नहीं है, के बाद संविदाकार को वापस कर दी जाएगी। इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।</p>	<p>(16) The Vendor has deposited a sum of ₹ _____ on _____, with the Bank as Security deposit for the due performance of the contract for the entire contract period. This Security deposit amount will be refunded to the Vendor after 2 months of termination of the contract and submission of certificate that no bill/s is/are pending for payment with the Bank. The said sum will not carry any interest.</p>

<p>(17) संविदा की अवधि के पूर्व ही संविदाकार को एक माह के नोटिस पर बैंक द्वारा संविदा को समाप्त किया जा सकता है। संविदा को पहले समाप्त करने की अवस्था में संविदाकार का बैंक के विरुद्ध कोई दावा नहीं होगा।</p>	<p>(17) The contract can be terminated by the Bank before the term of the contract by giving one month notice to the Vendor and in case of earlier termination, the Vendor will have no claim against the Bank.</p>
<p>(18) इसकी शर्तों के उल्लंघन सहित सभी नोटिस एवं अन्य संप्रेषण संबंधित पक्ष को दिए जाने आवश्यक हैं एवं इन्हें हाथ से सौंपने या में उल्लिखित संबंधित पक्षों के कार्यालय के पते पर पंजीकृत डाक से भेजने यह समझा जाएगा कि इन्हें सौंप दिया गया है।</p>	<p>(18) All notices and other communications required to be served on the parties including for violation of the terms of this Agreement shall be considered to be duly served if the same shall have been delivered by hand or posted by registered mail to the office addresses of the parties as mentioned in the agreement.</p>
<p>(19) इसके तहत किसी भी तरह के विवाद एवं मतभेद को एकमात्र मध्यस्थ अर्थात् क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर के पास भेजा जाए एवं लिखित रूप से दिया गया उनका निर्णय अंतिम तथा संविदाकार के लिए बाध्यकारी होगा। तथापि, मध्यस्थता के माध्यम से यदि कोई विवाद/ मुद्दा नहीं सुलझे तो इसके लिए वैधानिक क्षेत्राधिकार केवल भुवनेश्वर होगा। किसी भी तरह के वैधानिक विवाद को सुलझाने के लिए वैकल्पिक समायोजन माध्यमों का प्रयोग केवल आपसी सहमति से ही किया जा सकता है। मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय अंतिम होगा तथा दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।</p>	<p>(19) All disputes and differences of any kind under the agreement shall be referred to the sole arbitrator i.e. Regional Director, Reserve Bank of India, Bhubaneswar and his/her decision, in writing, shall be final and binding on the Vendor. However, for any dispute/issue, not settled through arbitration, the legal jurisdiction shall be Bhubaneswar only. Alternate settlement modes can be used for settling any legal dispute with mutual consent only. The award passed by the Arbitrator shall be final and binding on the both the parties.</p>
<p>(20) यौन उत्पीड़न: "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए संविदाकार ही पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। यदि</p>	<p>(20) Sexual Harassment: The Vendor shall be solely responsible for full compliance with the provisions of "the Sexual Harassment of women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act,</p>

अधिनियम में परिभाषित कार्यस्थल के भीतर यैन उत्पीड़न के बारे में इसके किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई शिकायत आती है तो उस शिकायत को संविदाकार द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा एवं संविदाकार द्वारा इस अधिनियम के तहत शिकायत पर समुचित कार्रवाई की जाएगी। यदि संविदाकार का कोई पीड़ित कर्मचारी बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध यैन उत्पीड़न की शिकायत करता है तो बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति इस मामले का संज्ञान लेगी। घटना में संविदाकार के कर्मचारी का हाथ होने पर यदि मौद्रिक क्षतिपूर्ति का भुगतान करने की आवश्यकता पड़े तो यह जिम्मेदारी संविदाकार की होगी, उदाहरणार्थ संविदाकार के कर्मचारी द्वारा यैन हिंसा सिद्ध होने पर बैंक की कर्मचारी को मौद्रिक राहत। अपने कर्मचारियों को कार्य स्थल पर यैन उत्पीड़न तथा संबंधित मामलों के बारे में शिक्षित करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

2013". In case of any complaint of sexual harassment against its employee within the workplace as defined in the Act, the complaint will be filed before the Internal Complaints Committee constituted by the Vendor and the Vendor shall ensure appropriate action under the said Act in respect to the complaint. Any complaint of sexual harassment from any aggrieved employee of the Vendor against any employee of the Bank shall be taken cognizance of by the Regional Complaints Committee constituted by the Bank. The Vendor shall be responsible for any monetary compensation that may need to be paid in case the incident involves the sexual harassment by the employees of the Vendor, for instance any monetary relief to Bank's employee, if sexual harassment by the employee of the Vendor is proved by the Committee. The Vendor shall be responsible for educating its employees about prevention of sexual harassment at workplace and related issues.

(21) **फोर्स मेज्योर:** इस के तहत यदि कोई पक्ष (या इनकी तरफ से कार्य कर रहा कोई व्यक्ति) उस स्तर तक या उस वजह से असफल रहता है जिसमें कि अप्रत्याशित घटनाओं (फोर्स मेज्योर) के चलते इन्हे पूरा करने से रोका गया हो, निलंबन हुआ हो, रुकावट आई हो या या विलंब हुआ हो तो उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तो उसका कोई दायित्व या उत्तरदायित्व नहीं होगा।

(21) **Force Majeure:** No Party (or any Person acting on its behalf) shall have any liability or responsibility for failure to fulfil any obligation (other than a payment obligation) under this Agreement so long as and to the extent to which the fulfilment of such obligation is prevented, frustrated, hindered or delayed as a consequence of circumstances of Force Majeure.

(22) **अप्रकटीकरण:** संविदाकार बैंक के बुनियादी ढांचे / प्रणालियों / उपकरणों आदि के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किसी भी सूचना, सामग्री तथा

(22) **Non-disclosure:** The Vendor shall not disclose directly or indirectly any information, materials and details of the

विवरण, जो इस के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करने के दौरान संविदाकार के संज्ञान में आ सकते हैं, का खुलासा तृतीय पक्ष को नहीं करेगा तथा हर समय इस कठोर विश्वास को बनाए रखेगा। संविदाकार लागू कानून के अनुपालन तथा दायित्व का निर्वहन करने के लिए वर्तमान आवश्यकता के अतिरिक्त के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा। संविदाकार नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी स्थान पर अथवा किसी भी व्यापार अथवा तकनीकी दस्तावेज़ में कार्य के किसी भी विवरण को प्रकाशित करना, प्रकाशित करने की अनुमति तथा खुलासा नहीं करेगा। किसी भी गोपनीय सूचना के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुए किसी भी नुकसान की क्षतिपूर्ति संविदाकार करेगा। उपरोक्त का पालन करने में विफल होने पर इसे संविदाकार की ओर से का उल्लंघन माना जाएगा तथा बैंक नुकसान का दावा करने तथा कानूनी कदम उठाने के लिए पात्र होगा। संविदाकार इस के तहत गोपनीय जानकारी के गैर प्रकटीकरण के दायित्व को पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए अपने कर्मचारियों के संबंध में उचित कार्रवाई करेगा। गैर प्रकटीकरण तथा गोपनीयता के संबंध में संविदाकार की बाध्यता इस के समाप्त होने या इसके निरस्त होने, जो भी कारण हो, तक वैध रहेगी।

Bank's infrastructure / systems/ equipment etc., which may come to the possession or knowledge of the Vendor during the course of discharging contractual obligations in connection with this agreement, to any third party and shall at all times hold the same in strictest confidence. The Vendor shall treat the details of the contract as private and confidential, except to the extent necessary to carry out the obligations under it or to comply with applicable laws. The Vendor shall not publish, permit to be published, or disclose any particulars of the works in any trade or technical paper or elsewhere without the previous written consent of the Bank. The Vendor shall take all appropriate actions with respect to its employees to ensure that the obligations of non-disclosure of confidential information under this Agreement are fully satisfied. The Vendor's obligations with respect to non-disclosure and confidentiality will survive even after the expiry or termination of this Agreement for whatever reason.

(23) संविदाकार को इस से संबंधित अन्य सभी सांविधिक अधिनियमों/ विनियमों का पालन करना होगा एवं सरकार तथा स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य सांविधिक अधिनियम, नियम तथा विनियम जो इस पर लागू हैं, वे सब शामिल होंगे। सरकार तथा

(23) The Vendor shall abide by State Labour/ Government of India (ministry of Labour) rules and regulations and all other Statutory Acts / Regulations and rules relevant to this contract laid by the Government and local body in force, coming into force which may apply to this

<p>अन्य सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित उक्त नियमों एवं विनियमों में संविदाकार द्वारा किसी तरह की लापरवाही या इनके अनुपालन न किए जाने के के फलस्वरूप अगर बैंक के विरुद्ध कोई जोखिम उत्पन्न होता है या कोई हानि होती है तो उसके प्रति संविदाकार बैंक को क्षतिपूर्ति देगा।</p>	<p>agreement. The Vendor shall indemnify the Reserve Bank of India against risks and damages arising out of the default on the part of Vendor due to negligence or non-compliance of any of the aforesaid rules, regulations etc. laid down by the Government and other statutory authorities from time to time.</p>
<p>(24) संविदाकार सुनिश्चित करेगा कि संबंधित श्रम विभाग से समुचित लाइसेंस हासिल कर लिया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक जब भी मांगे तब बुलाया जाए, उपरोक्त प्रमाण में आवश्यक सांविधिक सूचना / दस्तावेज प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी संविदाकार की होगी। संविदाकार के कामगारों को यदि कोई श्रम संबंधी समस्या होती है तो इसे निपटाने की जिम्मेदारी संविदाकार की ही होगी।</p>	<p>(24) The Vendor shall comply with all requirements of law with regard to the provision of Labour. It shall be the responsibility of the Vendor for furnishing necessary Statutory information / documents in proof of the above whenever called for by RBI. In case of any Labour problems related to the workmen staff of the Vendor, the same shall be settled at the Vendor's end only.</p>
<p>(25) इस संविदा के तहत कार्य करने के लिए नियोजित किसी व्यक्ति की मजदूरी की राशि के भुगतान के संबंध में यदि कोई चूक होती है और इसके लिए श्रम प्राधिकारियों के कार्यालय में कोई दावा प्रस्तुत किया जाता है एवं श्रम प्राधिकारियों की संतुष्टि हेतु कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत किया जाता है तो संविदाकार द्वारा ऐसा भुगतान न करने पर संविदाकार की तरफ से बैंक उक्त राशि का भुगतान श्रम अधिकारियों को कर सकता है तथा किए गए भुगतान की वसूली बैंक संविदाकार से कर सकता है।</p>	<p>(25) In the event of default being made in the payment of any money in respect of wages of any person deployed by the Vendor for carrying out of this contract and if a claim therefore is filed in the office of the Labour Authorities and the proof thereof is furnished to the satisfaction of the Labour Authorities, the Bank may, failing payment of the said money by the Vendor, make payment of such claim on behalf of the Vendor to the said Labour Authorities and any sums so paid shall be recoverable by the Bank from the Vendor.</p>
<p>(26) श्रम प्राधिकारियों के अनुदेश या श्रम कानूनों के तहत किसी दावे या आवेदन के परिणामस्वरूप बैंक को किसी राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए तो यह माना जाएगा कि सात दिन के अंदर संविदाकार को बैंक को भुगतान करना होगा। बैंक</p>	<p>(26) If any money shall, as the result of any instructions from the Labour authorities or claim or application made under any of the Labour laws, or Regulations, be directed to be paid by the Bank, such money shall be deemed to be payable by the Vendor to the</p>

<p>को अधिकार होगा कि वह संविदाकार को देय राशि या निष्पादन जमानत से कटौती करते हुए संविदाकार से राशि की वसूली कर सकता है।</p>	<p>Bank within seven days. The Bank shall be entitled to recover the amount from the Vendor by deduction from money due to the Vendor or from the Security deposit.</p>
<p>(27) किसी भी सांविधिक भुगतान के अनुपालन न करने के बारे में शिकायत मिलने की स्थिति में बैंक को अधिकार होगा कि वह संविदा को निरस्त करने के उसके अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इसकी कटौती बिल से कर सके। संविदाकार को ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के सभी सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।</p>	<p>(27) In case of any complaint regarding non-compliance of any statutory payments; the same shall be deducted from the bill without prejudice to the Bank's right to cancel the contract. The Vendor shall abide by all the statutory provisions of the Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970.</p>
<p>(28) बैंक को अधिकार होगा कि वह आपसी रूप से सहमत शर्तों पर संविदा को आगे भी विस्तार दे सकता है। इस संविदा को कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को एक महीने का लिखित नोटिस देकर निरस्त कर सकता है। यदि संविदाकार इस के किसी भी दायित्व/ ड्यूटी को पूरा करने में असफल रहता है या सामान्य अनुदेशों एवं विशेष शर्तों का उल्लंघण करता है तो बैंक बिना कोई कारण बताए संविदाकार को निरस्त कर सकता है।</p>	<p>(28) The Bank reserves the right to extend the contract for further period on terms mutually agreed upon. The Contract may be terminated by either of the parties by giving one month's notice in writing of such termination to the other party. If the Vendor fails to carry out any of his obligations/duties, in terms of the Agreement or violates any general instructions and special conditions, the contract may be terminated by the Bank without assigning any reason.</p>
<p>(29) निविदा और में दिए गए सभी ब्योरे कोविड-19 महामारी के आलोक में उभरती परिस्थितियों के मद्देनज़र बैंक के विकल्प पर संशोधन/परिवर्तन के अधीन होंगे।</p>	<p>(29) All details in the Tender Document and agreement are subject to amendment/ change at the option of the Bank subject to emergent situation in view of COVID-19 pandemic.</p>
<p>(30) बैंक और उसके अधिकारियों या जिन्हें सेवाएं देने के लिए बैंक निर्देश देता है उनके लिए सेवाओं में कमी और गंभीर असुविधा के लिए या जिनके लिए बैंक सेवाएं प्रदान करने का निर्देश देता है, संबंधित घटना के लिए निम्नानुसार दंड लगाया जाएगा। विवाद</p>	<p>(30) For deficiency in services and serious inconvenience caused to the Bank and its officials or to those for whom Bank directs to provide services, penalty as explained below for the relevant instance will be imposed. In case of dispute, the Bank's</p>

के मामले में, बैंक का फैसला मामले में अंतिम होगा। यह संविदाकार की पूरी ज़िम्मेदारी होगी कि वे बिना किसी पूर्वाग्रह के रात / सुबह के समय बैंक द्वारा कार / वाहन उपलब्ध कराएः-

- (i) देर से रिपोर्टिंग के मामले में हर अगले आधे घंटे या उसके हिस्से के लिए ₹500/- का शुल्क लगाया जाएगा।
- (ii) आवंटित कार में समाचार पत्र, पानी की बोतल (बिसलेरी/किनले, या किसी भी मानक ब्रांड का), हैंड सैनिटाइज़र (डिटॉल या किसी भी मानक ब्रांड का), फेस टिशू, फेस मास्क, छाता, आदि जैसी सुविधाएं न होने पर ₹500/- का शुल्क लगाया जाएगा।
- (iii) यदि कार ऊँटी की तारीख से 4 वर्ष से अधिक पुरानी पाई गई तो ₹1000/- का शुल्क लगाया जाएगा।
- (iv) यदि ड्राइवर द्वारा वाहन चलाते समय पान/गुटका खाते हुए या धूम्रपान करते हुए पाए जाने की सूचना मिलती है/पाया जाता है तो ₹500/- का जुर्माना लगाया जाएगा।
- (v) समय/किमी से संबंधित ऊँटी स्लिप में बैंक द्वारा गलत/बढ़ी हुई प्रविष्टियां पाए जाने पर ₹1000/- का शुल्क लगाया जाएगा।
- (vi) यदि कार बुकिंग के अनुसार रिपोर्ट नहीं करती है तो ₹2000 का शुल्क लगाया जाएगा।
- (vii) यदि ड्राइवर द्वारा यात्री के साथ दुर्व्यवहार किए जाने की शिकायत की जाती है/पाया जाता है, तो ₹1000/- का जुर्माना लगाया जाएगा।

verdict will be final in the matter. It will be the sole responsibility of the Vendor to provide cars /vehicles as and when requisitioned by the Bank during night/early morning without prejudice:

- (i) ₹500/- for every next half hour or part thereof will be levied in case of late reporting.
- (ii) ₹500/- for missing amenity i.e. Newspaper, Water Bottle (Bisleri/ Kinley, or of any standard brand), Hand Sanitizer (Dettol or of any standard brand), Face Tissues, face mask, Umbrella, etc. in the car allotted to the guest.
- (iii) ₹1000/- will be levied in case the car is found to be older than 4 years from the date of duty.
- (iv) ₹500/- will be levied in case the driver is reported/ found chewing paan/ gutka or smoking while driving.
- (v) ₹1000/- will be levied in case of wrong/ inflated entries is observed by the Bank in the Duty Slips relating to time/ Km.
- (vi) ₹2000/- will be levied in case Car does not report as per booking made.
- (vii) ₹1000/- will be levied in case the driver is reported/ found misbehaving with the guest.
- (viii) ₹1000/- in case the car agency/ company did not make alternate arrangements within one hour in case of breakdown of its vehicle(s). The Vendor will be responsible to compensate all expenses incurred by the Bank in this regard and the

(viii) यदि कार एजेंसी/कंपनी ने वाहन खराब होने की स्थिति में एक घंटे के भीतर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की तो ₹1000/- का जुर्माना लगाया जाएगा। वेंडर इस संबंध में बैंक द्वारा किए गए सभी खर्चों की भरपाई करने के लिए जिम्मेदार होगा और इसे वेंडर के बिलों से काट लिया जाएगा। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और ऑपरेटर पर बाध्यकारी होगा। ऐसा मुआवजा ऊपर बताए अनुसार लगाए गए किसी भी जुर्माने के अतिरिक्त हो सकता है। जुर्माना और मुआवजा, संबंधित बिल, अन्य लंबित बिलों या प्रतिभूति जमा से काट लिया जाएगा।

(ix) यदि ड्राइवर शराब/ड्रग्स, या किसी अन्य अवैध पदार्थ के प्रभाव में पाया/रिपोर्ट किया गया तो ₹2000/- का जुर्माना लगाया जाएगा।

बैंक को ऊपर उल्लिखित किसी भी कमी/सेवा चूक/नुकसान के लिए किसी भी राशि का जुर्माना लगाने का अधिकार सुरक्षित है, जिसे बैंक उचित समझे। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

same will be deducted from the bills of the Vendor. Decision of the Bank in this regard will be final and binding on the operator. Such compensation may be in addition to any penalty imposed as mentioned above. Penalty and compensation, if any, will be deducted from the relevant bill, other pending bills or from the security deposit.

(ix) ₹2000/- will be levied in case driver is found/ reported to be under the influence of alcohol/ drugs, or any other illegal substance.

Bank reserves the right to impose penalty of any amount for any of the deficiency/ service lapse/ loss to the Bank not mentioned above what the Bank deems fit. The decision of the Bank is this regard will be final.

(31) यात्रा शुरू होने से पहले प्रत्येक अतारीख/सेवा के उपयोगकर्ता को एक फीडबैक फॉर्म (अनुलग्नक VI के अनुसार) प्रदान किया जाना चाहिए। इस फीडबैक फॉर्म पर उपयोगकर्ता के हस्ताक्षर प्राप्त किए जाने चाहिए और इसे भुगतान के लिए ऊटी स्लिप के साथ बैंक में जमा किया जाना चाहिए। यदि उपयोगकर्ता फीडबैक देने को तैयार नहीं है, तो ड्राइवर द्वारा उपयोगकर्ता से फॉर्म की पहली पंक्ति में 'नहीं' पर टिक करने का अनुरोध किया जा सकता है (मैं यात्रा के लिए फीडबैक देने को तैयार/नहीं

(31) A feedback form (as per Annex VI) should be provided to each guest/ user of the service before the commencement of the journey. The signature of the user should be obtained on this feedback form and it should be submitted to the Bank along with duty slip for payment. In case the user is not willing to provide feedback, then user may be requested by the driver to tick 'no' in the first line of the form (I am willing/ not willing to provide the feedback for the journey) and sign the form. The invoices sent for payment without the

<p>चाहता हूं) और फॉर्म पर हस्ताक्षर करें . फीडबैक फॉर्म के बिना/फीडबैक फॉर्म पर उपयोगकर्ता के हस्ताक्षर के बिना भुगतान के लिए भेजे गए चालान को बैंक द्वारा भुगतान से इनकार किया जा सकता है।</p>	<p>feedback form/ without user's signatures on the feedback form can be denied payment by the Bank.</p>		
<p>दो प्रतियों में निष्पादित किया जाएगा। मूल प्रति बैंक के पास रखी जाएगी और दूसरी प्रति संविदाकार द्वारा रखी जाएगी।</p>	<p>This Agreement shall be executed in duplicate. The original shall be retained by the Bank and the duplicate by the Vendor.</p>		
<p>इसके साक्ष्य में इनकी उपस्थिति में और प्रमाण के रूप में दोनों पक्षों ने इस पर एवं इसकी दूसरी प्रति पर उपर्युक्त दिन एवं वर्ष पर अपनी मुहर लगाई है।</p>	<p>IN WITNESS WHEREOF the parties have caused their common seal to be affixed to these presents and a duplicate hereof, the day and year first hereinabove written.</p>		
<p>कृते बैंक हस्ताक्षर नाम : पदनाम</p>	<p>For and on behalf of Bank Sign: _____ Name: Title:</p>	<p>For and on behalf of Sign: _____ Name: Title:</p>	<p>के लिए और की ओर से हस्ताक्षर नाम : पदनाम</p>

परिभाषाएं

इस करार में, जब तक कि संदर्भ की आवश्यकता न हो:

"करार" का अर्थ है इन शर्तों के साथ-साथ ठेकेदार द्वारा लिखित रूप में स्वीकार की गई किसी भी बुकिंग और निविदा दस्तावेज में उल्लिखित नियम और शर्तें।

"रद्दीकरण" का अर्थ है बुकिंग की स्वीकृति के बाद बैंक ऑफ द सर्विसेज द्वारा कोई भी रद्दीकरण।

"किराया अवधि" का अर्थ है बुकिंग में निर्धारित समय की अवधि या जिसके दौरान सेवाएं की जाती हैं, जो भी अधिक हो, करार द्वारा या इस करार के अनुसार संशोधित किया गया है।

"पिक-अप पता" का अर्थ है बुकिंग में बताया गया पता जहां सेवाएं शुरू होंगी।

"पिक-अप समय" का अर्थ है बुकिंग में निर्धारित तिथि और समय या समय स्लॉट या सेवाओं के कार्यनिष्पादन की शुरुआत के लिए हमारे द्वारा आपको सूचित किया गया है।

"बुकिंग" का अर्थ है बैंक से कोई भी बुकिंग और ठेकेदार द्वारा स्वीकृति।

"सेवाओं" का अर्थ है वाहन चालक द्वारा चालित वातानुकूलित वाहन की सेवाएँ पिक-अप पते पर पिक-अप समय से शुरू होती हैं।

"अस्वीकार्य व्यवहार" का अर्थ है सीट-बेल्ट न पहनना, दरवाजे न खोलना या बंद करना (यह चालक द्वारा किया जाना चाहिए), वाहन की खिड़की से बाहर झुकना, अधिक गति से, यात्रियों की अधिकतम अनुमति संख्या से अधिक जाना, वाहन में धूम्रपान करना या /तंबाकू चबाना, शराब के प्रभाव में होना या किसी अवैध/नशीले पदार्थ के प्रभाव में या उसके कब्जे में, असभ्य, हिंसक, आक्रामक या खुद को या किसी अन्य व्यक्ति के लिए खतरा या संभावित खतरा होना, उपद्रवी होना या यात्रा करने के लिए किसी भी तरह से अयोग्य स्थिति में होना।

"वाहन" का अर्थ है बुकिंग में संदर्भित पंजीकरण संख्या वाला वाहन या पार्टियों द्वारा सहमत कोई प्रतिस्थापन वाहन।

"लेखन" में कोई भी लिखित कागज दस्तावेज़, कोई फैक्स, मोबाइल टेक्स्ट और कोई ई-मेल पत्राचार शामिल है।

इस करार में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा की आवश्यकता न हो, किसी भी लिंग को दर्शने वाले शब्दों में सभी लिंग शामिल हैं और एकवचन को दर्शने वाले शब्दों में बहुवचन शामिल हैं और इसके विपरीत।

अब ये उपस्थित गवाह और यह इसके द्वारा सहमत है और इन उपस्थित पक्षों के बीच निम्नलिखित के रूप में घोषित किया गया है:

(1) बैंक आवश्यकता के आधार पर सङ्क पर चलने योग्य वाहनों को किराए पर लेने के उद्देश्य से ठेकेदार की नियुक्ति करता है। यह अनुबंध _____ से 31 मार्च, 2027 तक _____ महीनों की अवधि के लिए वैध है। हालांकि, पार्टियों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत होने वाले मौजूदा/संशोधित नियमों और शर्तों पर अनुबंध को आगे की अवधि (अधिकतम दो वर्ष, एक बार में एक वर्ष) के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। बैंक पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर अनुबंध को आगे की अवधि के लिए बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(2) कि निविदा दस्तावेज (अनुलग्नक और उसके संशोधनों सहित) जैसा कि संशोधित किया गया है और अंतिम रूप से दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किया गया है, इस करार का अभिन्न अंग होगा और ठेकेदार निविदा दस्तावेजों के सभी नियमों और शर्तों का पालन करेगा।

(3) ठेकेदार एनईएफटी (लाभार्थी का नाम: खाता संख्या-186004001, भारतीय रिजर्व बैंक, आईएफएससी कोड - RBIS0BBPA01 (0=शून्य), शाखा का नाम - भुवनेश्वर) के माध्यम से एक निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) जमा करेगा या प्रस्तुत करेगा, जो बैंक के साथ संपूर्ण अनुबंध अवधि में उचित कार्यनिष्पादन के लिए सेक्योरिट डिपाजिट के रूप में बैंक के साथ करार/अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले अनुमानित निविदा मूल्य के आधे के 5% से अधिक नहीं है। इस सेक्योरिटी डिपाजिट राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा और अनुबंध अवधि पूरी होने की तारीख से दो महीने की समाप्ति के बाद ठेकेदार को बिना ब्याज के वापस कर दिया जाएगा या ठेकेदार द्वारा बैंक को देय दावों/जुर्माना, यदि कोई हो, के कठौती/समायोजन के बाद अनुबंध की समाप्ति के बाद वापस कर दिया जाएगा।

(4) बैंक अपनी आवश्यकता के लिए एक आदेश देगा जिसे 'हायर-ऑर्डर' कहा जाएगा और वाहनों की आपूर्ति के लिए ठेकेदार से पावती प्राप्त होगी। यह अनुमान लगाया जाता है कि ठेकेदार मांग किए जाने पर नियमित आधार पर बैंक को वाहनों की आपूर्ति करेगा जब तक कि अनुबंध वैध नहीं हो जाता है और करार में पक्ष अनुबंध के निष्पादन से संतुष्ट नहीं हो जाते।

(5) ठेकेदार बैंक के साथ और आदेश देने के लिए सक्षम प्रत्येक प्राधिकरण के साथ सहमत है, कि किराया आदेश का प्रत्येक अनुबंध वाहन किराए पर लेने के लिए इस करार की शर्तों के अधीन होना चाहिए और इन शर्तों और किराए के आदेश में शर्तों के बीच संघर्ष की स्थिति में, वाहन किराए पर लेने के लिए इस करार की शर्तें मान्य होंगी।

(6) ठेकेदार बैंक को सड़क पर चलने योग्य वाहन प्रदान करेगा जो आरटीओ के साथ पंजीकृत वाहनों को ड्यूटी के लिए वाणिज्यिक वाहन के रूप में भेजने की तारीख से तीन वर्ष से अधिक पुराने नहीं होंगे और केवल वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए पंजीकृत होंगे। ऐसे वाहनों पर कर, बीमा और अन्य बकाया ठेकेदार का दायित्व होगा। ठेकेदार अनुबंध की समाप्ति तक भविष्य में अपने बेड़े से खरीदे गए या हटाए गए सभी वाहनों का विवरण बैंक को लिखित रूप में प्रदान करने के लिए सहमत है।

(7) प्रत्येक वाहन से संबंधित सभी कागजात जैसे बीमा, पंजीकरण, सड़क कर, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, परमिट, वैध लाइसेंस आदि बैंक ड्यूटी के दौरान चालकों के साथ वाहनों में आसानी से उपलब्ध होने चाहिए।

(8) सभी वाहनों को अच्छी तरह से बनाए रखा जाना चाहिए, जीपीएस सक्षम होना चाहिए और अच्छी स्वच्छता की स्थिति में होना चाहिए, इसके असबाब आदि को उचित आकार में, बिना किसी डेंट या दाग के। ड्यूटी पर भेजने से पहले इसे ठीक से धोया जाना चाहिए और साफ और साफ सीट कवर प्रदान किया जाना चाहिए।

(9) ड्यूटी पर तैनात चालक के पास एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जिसे यातायात कर्मियों द्वारा मांग किए जाने पर उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। समय-समय पर उनके ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।

(10) ठेकेदार द्वारा प्रदान किए गए वाहन का चालक ठेकेदार द्वारा दी गई ड्यूटी पर्ची अपने साथ ले जाएगा, जहां तारीख, समय, किलोमीटर रीडिंग और देखे गए स्थानों को भरना है और उपयोगकर्ताओं / बैंक अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं। इन शुल्क पर्चियों के आधार पर, ठेकेदार द्वारा बिल बैंक को भेजे जाएंगे। दूरी की गिनती गैरेज से होगी, लेकिन इस संबंध में उपयोगकर्ता पिक-अप/ड्रॉप पते और गैरेज/सामान्य पार्किंग स्थान के बीच प्रत्येक तरह से प्रभार्य दूरी 05 किलोमीटर से अधिक नहीं होगी।

(11) तैनात किए गए चालक अच्छे नैतिक चरित्र और ड्राइविंग के उचित अनुभव के साथ चिकित्सकीय रूप से फिट होने चाहिए और अच्छी तरह से तैयार होने चाहिए और अंग्रेजी और हिंदी में बातचीत करने

में सक्षम होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर रास्ते में आने वाले वाहनों की मामूली मरम्मत में उन्हें मदद करनी चाहिए।

(12) चालक को कार मेकेनिज्म का कुछ ज्ञान भी होना चाहिए ताकि वह मामूली मरम्मत में भाग ले सके। इसके अलावा, यदि आवश्यक हो, तो वह इस तरह की मरम्मत करने के लिए सभी आवश्यक उपकरण और स्पेयर पार्ट्स ले जाएगा।

(13) चालक को भुवनेश्वर और आस-पास के क्षेत्रों में सड़कों और मार्गों से अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए।

(14) यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चालक को सभी यातायात नियमों और विनियमों (सीट बेल्ट, गति सीमा, लाल बत्ती, ओवरटेकिंग आदि) का पालन करना चाहिए।

(15) यदि बैंक या उपयोगकर्ता किसी चालक द्वारा दुर्घटवहार/अस्वीकार्य व्यवहार की शिकायत करता है, तो ठेकेदार ऐसे ड्राइवर को बदलने के लिए तत्काल कदम उठाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में उक्त ड्राइवर की सेवाएं बैंक को प्रदान न की जाएं।

(16) ठेकेदार अपने द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों/चालकों के पूर्ववृत्त के संबंध में पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी अवांछनीय व्यक्ति बैंक की ड्यूटी के लिए उनके द्वारा नियुक्त न किया जाए। इस करार के उद्देश्य के लिए ड्राइवर की सेवाओं को शामिल करने से पहले ऐसा प्रमाण पत्र सालाना प्राप्त किया जाना चाहिए। बैंक इस तरह के प्रमाण पत्र के लिए कॉल करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है।

(17) ठेकेदार द्वारा नियुक्त किए गए चालक बैंक के सुरक्षा अधिकारियों/गार्डों द्वारा दिए गए अनुदेशों का पालन करेंगे और वाहनों/व्यक्तियों को आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा जांच से गुजरना होगा।

(18) ड्राइवर को रिपोर्टिंग के समय से कम से कम 15 मिनट पहले निर्दिष्ट स्थान पर ड्यूटी के लिए साफ-सुधरी वर्दी में रिपोर्ट करना होगा। अतिथि को लेने के लिए हवाई अड्डे पर जाते समय, उड़ान के उत्तरने के समय की नियमित रूप से उसके या ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा जांच की जानी चाहिए क्योंकि कभी-कभी उड़ानें अपने निर्धारित समय से पहले उत्तरती हैं। यह सुनिश्चित करना ठेकेदार का कर्तव्य है कि वाहन समय पर हवाई अड्डे/रेलवे स्टेशन/पिकअप पॉइंट तक पहुंचे।

(19) चालक को बैंक के आने वाले अतिथि/अधिकारी के विवरण को दर्शने वाली एक तख्ती अपने साथ रखनी होगी और रेलवे प्लेटफार्म/हवाई अड्डे से निकास बिंदु पर अतिथि (मेहमानों) को प्राप्त करने के

लिए उपस्थित होना चाहिए। हवाई अड्डे/रेलवे स्टेशन पर कई निकास बिंदुओं/फाटकों के मामले में, चालक को अतिथि को उड़ान के उत्तरने/ट्रेन पहुंचने के बाद एक विशेष निकास बिंदु/गेट पर अपनी उपस्थिति के बारे में सूचित करना चाहिए। ड्राइवरों को उपयोगकर्ताओं के आगमन का पता लगाने के लिए कॉल करने की प्रतीक्षा करने के बजाय पिकअप स्थान पर उसके आगमन के बारे में सूचित करने के लिए उपयोगकर्ताओं से संपर्क करने के लिए एक फोन कॉल करना चाहिए।

(20) चालक को सेवा का उपयोग करने वाले अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित यात्रा किए गए किलोमीटर/जारी करने के समय आदि के पूर्ण विवरण के साथ ड्यूटी पर्ची रखनी चाहिए। वाहन का मेक और वाहन का पंजीकरण नंबर, जो अतिथि को प्रदान किया जाता है, ड्यूटी स्लिप पर उल्लेख किया जाना चाहिए। इसके अलावा, ड्राइवर को हर समय विनम्र, विनम्र और सेवा उन्मुख होना चाहिए। वह मांग पर अतिथि को अपना मोबाइल नंबर प्रदान करना चाहिए।

(21) करार के प्रयोजन के लिए तैनात व्यक्ति नशे की हालत में या किसी नशीली सामग्री के प्रभाव में नहीं होंगे। वाहन/बैंक परिसर के अंदर धूम्रपान या चबाने वाले पैन/तंबाकू की सख्त मनाही है।

(22) बैंक के अतिथि/उपयोगकर्ता अधिकारी को रिपोर्ट करने के बाद ड्राइवर को हमेशा कार के साथ उपलब्ध रहना चाहिए। पूरी ड्यूटी के दौरान उसका मोबाइल चालू होना चाहिए (बैटरी नियमित रूप से चार्ज होने के साथ)। किसी भी जरूरी काम के लिए वाहन से दूर जाते समय उसे अपना मोबाइल अपने साथ रखना चाहिए। वाहन चलाते समय ड्राइवर को मोबाइल कॉल नहीं लेनी चाहिए। यदि उसे वाहन चलाते समय कोई जरूरी कॉल लेने की आवश्यकता हो, तो उसे वाहन को उचित स्थान पर रोकना चाहिए और फिर कॉल का जवाब देना चाहिए।

(23) चालक बैंक के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करेंगे और संरक्षा और संरक्षा के संबंध में बैंक के नियमों और विनियमों का भी पालन करेंगे।

(24) बैंक या उसके अतिथि ठेकेदार द्वारा प्रदान किए गए कार/टैक्सी चालक को किसी भी वेतन या पारिश्रमिक के भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।

(25) चालक को ईंधन, मरम्मत शुल्क, टोल आदि के नाम पर अतिथि से कोई धन/कार्ड स्वाइप नहीं मांगना चाहिए। लंबी यात्राओं में, ड्राइवर को ठेकेदार द्वारा पर्याप्त धन/कार्ड प्रदान किया जाना चाहिए और ऐसे सभी खर्चों को कवर करने के लिए पर्याप्त शेष राशि प्रदान की जानी चाहिए।

(26) ठेकेदार उसमें निर्दिष्ट समय के भीतर फोन पर लिखित या मौखिक निर्देशों पर टैक्सी प्रदान करेगा। ठेकेदार को बैंक से अल्प सूचना पर टैक्सी प्रदान करने की भी आवश्यकता होगी (आपात स्थिति में एक घंटे के भीतर)। यदि ठेकेदार बैंक के अनुरोध पर टैक्सी प्रदान करने में विफल रहता है, या तो फोन पर मौखिक या लिखित, बैंक अनुबंध के तहत सेक्योरिट डिपाजिट और अन्य उपायों को जब्त करने के बैंक के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ठेकेदार को परिवहन सेवा प्रदाताओं के पैनल से हटाने के लिए स्वतंत्र होगा।

(27) ठेकेदार को किलोमीटर की उचित सीलिंग सुनिश्चित करनी चाहिए। बैंक अपने विवेकाधिकार पर किसी भी समय मीटर को कैलिब्रेट या चेक करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। मीटर रीडिंग में छेड़छाड़ को गंभीरता से लिया जाएगा, जिससे किसी भी अन्य दंडात्मक कार्रवाई के अलावा पैनल को रद्द या समाप्त किया जा सकता है और सेक्योरिट डिपाजिट राशि जब्त कर ली जाएगी।

(28) ठेकेदार को कार के विवरण जैसे कार के निर्माण और रंग, कार पंजीकरण संख्या, चालक का नाम और उसका मोबाइल नंबर, रिपोर्टिंग समय और स्थान, कार डेस्क के अधिकारियों और कार के उपयोगकर्ता को टेलीफोन के माध्यम से और उपयोगकर्ता के आगमन/प्रस्थान से कम से कम छह घंटे पहले एसएमएस के माध्यम से सूचित करना चाहिए। यह सुनिश्चित करना ठेकेदार का कर्तव्य है कि ये विवरण एसएमएस के माध्यम से बैंक के उपयोगकर्ता और कार डेस्क तक पहुंचें, लेकिन कार बुकिंग की पुष्टि ठेकेदार द्वारा बैंक से कार बुकिंग अनुरोध प्राप्त होने के तुरंत बाद कार बुकिंग डेस्क और उपयोगकर्ता को मेल के माध्यम से भेजी जाएगी।

(29) बैंक और इस करार के प्रयोजन के लिए लगे व्यक्तियों के बीच कोई नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं होगा। ठेकेदार द्वारा तैनात सभी श्रमिकों या व्यक्तियों को ठेकेदार के कर्मचारी के रूप में माना जाएगा और भारतीय रिज़र्व बैंक का ऐसे श्रमिकों/कर्मचारियों के संबंध में कोई दायित्व नहीं होगा।

(30) ठेकेदार इस करार के मूल पर लागू स्टांप शुल्क का भुगतान करेगा, जिसे दो प्रतियों में निष्पादित किया जाएगा, और बैंक मूल करार को बनाए रखेगा और ठेकेदार डुप्लिकेट को बनाए रखेगा।

(31) इस करार की शर्तों के उल्लंघन सहित पार्टियों को दिए जाने वाले सभी नोटिस और अन्य संचार को विधिवत सेवा के रूप में माना जाएगा यदि इसे हाथ से, ईमेल के माध्यम से या पंजीकृत मेल द्वारा पार्टियों के कार्यालय पते पर पोस्ट किया गया होगा जैसा कि करार में उल्लिखित है।

(32) ठेकेदार द्वारा प्रदान किए गए वाहनों के संबंध में करार की वैधता के दौरान उत्पन्न हुए या उत्पन्न होने वाले किसी भी कानूनी विवाद/मामलों/दावों के लिए ठेकेदार उत्तरदायी है। बैंक ठेकेदार या तीसरे पक्ष को होने वाली किसी भी हानि, क्षति आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जैसा भी मामला हो। बैंक ठेकेदार द्वारा तैनात किसी भी कर्मचारी/चालक की मृत्यु या चोट या दुर्घटना के लिए किसी भी मुआवजे के भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जो इस करार के प्रयोजन के लिए उनके कर्तव्यों और रोजगार के दौरान उत्पन्न हो सकता है, चाहे वह बैंक परिसर में हो या अन्यथा। यह सहमति और समझा जाता है कि ऐसे कर्मचारियों और उनके परिवारों को इस तरह के नुकसान या मुआवजे का भुगतान करने के लिए ठेकेदार अकेले उत्तरदायी होगा।

(33) कोई भी रिश्वत, कमीशन, दस्तावेज या लाभ ठेकेदार या उसके भागीदार, एजेंट या नौकर या उसकी ओर से या उसकी ओर से बैंक के किसी भी कर्मचारी (कर्मचारियों) को या उसकी ओर से बैंक के साथ इस या किसी अन्य अनुबंध को प्राप्त करने या निष्पादित करने के संबंध में उसकी ओर से या उनकी ओर से दिया गया/वादा किया गया या दिया गया कोई भी लाभ, कमीशन, दस्तावेज या लाभ, बैंक को निम्नलिखित के साथ सभी अनुबंधों को ठेकेदार द्वारा वहन किए जाने वाले किसी भी आपराधिक दायित्व के अलावा जमानत जमा की जब्ती के साथ-साथ रद्द करने का अधिकार देगा। ठेकेदार बैंक के किसी भी कर्मचारी के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी मौद्रिक लेनदेन करेगा या उधार नहीं देगा।

(34) **भुगतान की शर्तें:** जारी किए गए चालान/बिल को क्रमिक रूप से क्रमांकित किया जाना चाहिए और इसमें सेवा प्रदाता, सेवा प्राप्तकर्ता, सेवा का विवरण, उस पर देय करों का मूल्य आदि का नाम और पता होना चाहिए। ठेकेदार फीडबैक फॉर्म के साथ प्रत्येक पखवाड़े के पूरा होने पर बिल प्रस्तुत करेगा और सभी सहायक दस्तावेजों के साथ पूर्ण और सही बिल जमा करने की तारीख से इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से 15 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा। किसी भी आधार पर अग्रिम भुगतान करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में ठेकेदार इस अनुबंध की शर्तों में निर्धारित शुल्कों से अधिक किसी भी शुल्क का दावा करने का हकदार नहीं है। सभी लागू कानूनों यानी आयकर, जीएसटी आदि के अनुसार कर कटौती के बाद बिलों का निपटान किया जाएगा। बिलों से प्रभावी टीडीएस कटौती के समर्थन में हर तिमाही में टीडीएस प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। ठेकेदार द्वारा प्राप्त भुगतान के संबंध में किसी भी आपत्ति को भुगतान की तारीख से 7 दिनों के भीतर बैंक के ध्यान में लाया जा सकता है। यदि निर्धारित अवधि के भीतर ऐसी कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि भुगतान के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है।

(35) **कर:** विधेयक में उद्धृत राशि में वस्तु और सेवा कर को छोड़कर केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए/लगाए जाने वाले सभी कर **शामिल होंगे**, जो सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार लागू होंगे। यदि ठेकेदार बिल में ऐसे करों और शुल्कों को शामिल करने में विफल रहता है, तो बाद में बैंक द्वारा उसके किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। भारतीय कानूनों के अनुसार, लागू करों को स्रोत पर काटा जाएगा और इसके लिए ठेकेदार को एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। यह ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा कि वह बैंक द्वारा बिलों पर भुगतान किए गए करों को संबंधित सरकारी प्राधिकरणों को भेज दे।

(36) **अनुपालन:** ठेकेदार ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970, अनुबंध श्रम (विनियमन और उत्सरण) केंद्रीय नियम, 1971, मजदूरी संहिता, 2019, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम (विविध प्रावधान) 1952, नियोक्ता दायित्व अधिनियम 1938, बच्चों का रोजगार अधिनियम 1938 के प्रावधानों का पालन करेगा; मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, और/या कोई अन्य नियम/विनियम और/या कानून जो उन पर लागू हो सकते हैं और समय-समय पर संशोधित किए जा सकते हैं। जब भी आवश्यक समझा जाए, बैंक इस तरह के अनुपालन के प्रमाण के लिए कॉल करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, और ठेकेदार उसी का पालन करेगा। ठेकेदार उपर्युक्त विधायी अधिनियमों या किसी अन्य वैधानिक प्रावधानों के प्रावधान के किसी भी उल्लंघन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और बैंक को उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों के गैर-अनुपालन से उत्पन्न होने वाली चूक, गलती, उल्लंघनों और/या किसी भी दावे, मांग, हानि, चोट और व्यय के सभी कृत्यों से क्षतिपूर्ति करेगा। इसके तहत और/या उक्त अधिनियमों/नियमों/विनियमों/या किसी भी उप-नियमों या नियमों या इनमें से किसी के तहत बनाए गए किसी भी दायित्व को पूरा करने में ठेकेदार की विफलता के मामले में, बैंक ऐसे किसी भी नुकसान या व्यय की वसूली करने का हकदार होगा, जो ठेकेदार के मासिक भुगतान और सेक्योरिट डिपाजिट वसूला जा सकता है।

(37) **क्षतिपूर्ति:** ठेकेदार व्यक्तियों, जानवरों या चीजों को किसी भी चोट के लिए जिम्मेदार होगा और संपत्ति को सभी संरचनात्मक और सजावटी क्षति के लिए जिम्मेदार होगा जो स्वयं या उसके किसी भी कर्मचारी/चालक के संचालन या उपेक्षा से उत्पन्न हो सकता है, चाहे ऐसी चोट या क्षति लापरवाही, दुर्घटना या किसी अन्य कारण से उत्पन्न हो, किसी भी तरह से इस करार को पूरा करने से जुड़ा हुआ है। इस खंड में अन्य बातों के साथ-साथ इमारतों, वाहनों, संपत्ति को कोई नुकसान और सङ्कोचों, सङ्कोचों, फुटपाथों, पुलों या मार्गों को किसी भी नुकसान के साथ-साथ ठंड, बारिश, हवा या मौसम की अन्य प्रतिकूल स्थिति

से इस अनुबंध से जुड़ी इमारतों और कार्यों को होने वाले नुकसान शामिल होंगे। ठेकेदार बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और पूर्वोक्त रूप से व्यक्तियों या जानवरों या संपत्ति को ऐसी किसी भी चोट या क्षति से उत्पन्न होने वाले सभी और किसी भी खर्च के संबंध में और किसी भी विधायिका के किसी भी अधिनियम के तहत चोट या क्षति के संबंध में किए गए किसी भी दावे के संबंध में या अन्यथा और इस तरह के दावे के परिणामस्वरूप मुआवजे या क्षति के किसी भी अवार्ड के संबंध में भी क्षतिपूरित रखेगा।

(38) **यौन उत्पीड़न:** ठेकेदार/एजेंसी कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के उपबंधों का अनुपालन करेगी। यदि बैंक के परिसरों के भीतर या बाहर ठेकेदार/एजेंसी के कर्मचारी के विरुद्ध बैंक के कर्मचारी/अतिथियों को यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो शिकायत ठेकेदार/एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी और ठेकेदार/एजेंसी शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ ठेकेदार के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। ठेकेदार किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा, जिसे ठेकेदार के कर्मचारियों के शामिल होने की स्थिति में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी/मेहमानों को कोई मौद्रिक राहत, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है। ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

(39) **विवाद समाधान:** करार से उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को पक्षों के बीच चर्चा के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाएगा। किसी भी अनसुलझे विवाद के मामले में, इसे पार्टियों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत एकमात्र मध्यस्थ को भेजा जाएगा। यदि पार्टियां एकमात्र मध्यस्थ पर सहमत नहीं होती हैं, प्रत्येक पक्ष एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा, और दो नियुक्त मध्यस्थ, तीसरे मध्यस्थ को नियुक्त करेंगे जो पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधान और बाद के संशोधन ऐसी कार्यवाही पर लागू होंगे और मध्यस्थता भुवनेश्वर में आयोजित की जाएगी। इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान ठेकेदार इस करार के तहत अपने संविदात्मक दायित्व का निर्वहन करना जारी रखेगा, जब तक कि बैंक द्वारा वितरित नहीं किया जाता है। यह अनुबंध केवल भुवनेश्वर में न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार के

अधीन है। किसी भी कानूनी विवाद को आपसी सहमति से निपटाने के लिए वैकल्पिक निपटान मोड का उपयोग किया जा सकता है।

(40) पेनल्टी खंड -

(क) यह ठेकेदार की एकमात्र जिम्मेदारी होगी कि वह बैंक द्वारा वांछित / मांग के अनुसार रात/सुबह के दौरान सड़क योग्य कारों/वाहनों को उपलब्ध कराए। सेवाओं में कमी और बैंक या उसके अधिकारियों को होने वाली गंभीर असुविधा के लिए या जिनके लिए बैंक सेवाएं प्रदान करने का निर्देश देता है (निविदा दस्तावेज में उल्लिखित अनुबंध को नियंत्रित करने वाले किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन सहित), अपेक्षित उदाहरण के लिए अनुमानित बिल के 25% से अधिक नहीं जुर्माना लगाया जाएगा। किसी भी देरी पर बैंक द्वारा उचित समझे जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा। हालांकि, बैंक उचित नोटिस देने के बाद कोई भी जुर्माना लगाएगा। यदि सेवाओं में बार-बार चूक पाई जाती है, तो बैंक लिखित में एक कैलेंडर महीने का नोटिस देकर करार को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(ख) यदि अनुबंध की अवधि पूरी होने से पहले किसी प्रतिकूल आधार पर बैंक द्वारा करार समाप्त कर दिया जाता है, तो ठेकेदार किसी भी निविदा में भाग लेने या बैंक में किसी भी कार्य को निष्पादित करने से पांच साल के लिए प्रतिबंधित/अयोग्य घोषित किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा। हालांकि, ठेकेदार को प्रतिबंधित करने से पहले, बैंक सात दिनों का कारण बताओ नोटिस देगा और ठेकेदार द्वारा दिए गए उत्तर पर विचार करेगा। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

(ग) वाहन के खराब होने की स्थिति में ठेकेदार को तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था भी करनी होगी। विफलता के मामले में, ठेकेदार इस संबंध में बैंक द्वारा किए गए सभी खर्चों की भरपाई करने के लिए जिम्मेदार होगा। ऐसा मुआवजा उपरोक्त पैरा (ए) के तहत लगाए गए किसी भी दंड के अतिरिक्त हो सकता है। जुर्माना और मुआवजा, यदि कोई हो, ठेकेदार के किसी भी लंबित बिल या सेक्योरिट डिपाजिट से काट लिया जाएगा।

(घ) किसी भी परिस्थिति में, वाहनों के उप-ठेके की अनुमति नहीं है। यदि इस शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो बैंक आवधिक भुगतान/सेक्योरिट डिपाजिट से अपेक्षित उदाहरण के लिए अनुमानित बिल के 25% से अधिक जुर्माना वसूलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यदि उप-अनुबंध के बार-बार उदाहरण पाए जाते हैं, तो बैंक लिखित रूप में एक कैलेंडर महीने का नोटिस देकर करार को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(ड.) ठेकेदार अनुबंध में सहमति के अनुसार या बैंक द्वारा मांग के अनुसार वाहन का विशेष मॉडल या निर्माण प्रदान करेगा। यदि वाहन का मॉडल अनुरोध के अनुसार नहीं है और वाहन का मॉडल बदलने से पहले बैंक की अनुमति नहीं ली जाती है, तो बैंक आवधिक भुगतान/सेक्योरिटी डिपाजिट से संबंधित उदाहरण के लिए अनुमानित बिल के 25% से अधिक जुर्माना वसूलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यदि बैंक की अनुमति के बिना वाहनों के मॉडल को बदलने के बार-बार उदाहरण पाए जाते हैं, तो बैंक लिखित रूप में एक कैलेंडर महीने का नोटिस देकर करार को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(च) यदि किसी भी कारण से, बैंक प्रदान किए गए वाहन की स्थिति से संतुष्ट नहीं है, तो ठेकेदार के कार्यालय को तुरंत सूचित किया जाएगा, और उन्हें बिना किसी देरी के इसे बदलने के लिए बैंक की मांग को स्वीकार करना चाहिए। यदि किसी भी कारण से, ठेकेदार बैंक द्वारा मांग के अनुसार एक उपयुक्त स्थानापन्न वाहन प्रदान करने की स्थिति में नहीं है, तो बैंक खुले बाजार से एक वाहन को शामिल करने और ठेकेदार को देय दावों पर इसके कारण होने वाले व्यय की वसूली करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(छ) यदि किसी वाहन को अखबार, पानी की बोतलें, टिशू पेपर, छाता, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, अग्निशामक, डिस्पोजेबल फेस मास्क, अल्कोहल-आधारित हैंड सैनिटाइजर, यूनिवर्सल मोबाइल चार्जर जैसी सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती हैं, तो बैंक संबंधित उदाहरण के लिए बिल के भुगतान से इनकार कर सकता है। यदि इस संबंध में बार-बार चूक पाई जाती है, तो बैंक लिखित रूप में एक कैलेंडर महीने का नोटिस देकर करार को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(41) **गैर-प्रकटीकरण:** ठेकेदार या उसका कर्मचारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा नहीं करेगा, जो इस करार के संबंध में संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान ठेकेदार या उसके कर्मचारी के कब्जे या ज्ञान में आ सकता है, किसी भी तीसरे पक्ष को और हर समय इसे सख्त विश्वास में रखेगा। ठेकेदार अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय इसके दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा तक। ठेकेदार बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पेपर या कहीं और कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देगा, या प्रकट नहीं करेगा। ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस करार के तहत गोपनीय जानकारी

का खुलासा न करने के दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट हैं। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार के दायित्व किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति के बाद भी लागू माने जाएंगे।

(42) **अप्रत्याशित घटना:** यदि अनुबंध की वैधता के दौरान किसी भी समय, कोई भी पक्ष अप्रत्याशित घटना के अधीन है, जिसे नागरिक अशांति, दंगे, हड़ताल, तूफान, अप्रत्याशित घटना आदि कहा जा सकता है, जो किसी भी पक्ष को अपने दायित्व का निर्वहन करने से रोक सकता है, तो प्रभावित पक्ष तुरंत दूसरे पक्ष को ऐसी घटना के होने के बारे में सूचित करेगा। ऐसी घटना के कारण कोई भी पक्ष अपने दायित्वों के ऐसे कार्यनिष्ठादन के संबंध में अनुबंध को समाप्त करने का हकदार नहीं होगा। अनुबंध के तहत दायित्वों को घटना के समाप्त होने या अस्तित्व समाप्त होने के बाद जितनी जल्दी संभव हो फिर से शुरू किया जाएगा। यदि अनुबंध के तहत किसी भी दायित्व के कार्यनिष्ठादन को पारस्परिक रूप से सहमत अवधि से परे घटना के कारण रोका या देरी की जाती है, यदि कोई हो, या सात दिन, जो भी अधिक हो, तो कोई भी पक्ष अपने विकल्प पर एक महीने का नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

(43) ऊपर दिए गए किसी भी विषय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक अपने एकमात्र और पूर्ण विवेकाधिकार पर, बिना कोई कारण बताए और किसी मुआवजे के भुगतान के बिना और ठेकेदार के जोखिम और लागत पर एक महीने की लिखित सूचना के साथ इस करार को समाप्त करने का हकदार होगा, यदि

- i) बैंक की राय में (जिसे ठेकेदार द्वारा प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा) ठेकेदार बैंक की संतुष्टि के लिए इस करार को करने में विफल रहता है या इनकार करता है और/या
 - ii) ठेकेदार इस करार के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन करता है और/या
 - iii) ठेकेदार को दिवालिया घोषित किया जाता है या उसने अपने लेनदारों के साथ समझौता किया है या यदि संकट या निष्पादन या अन्य प्रक्रिया पर लगाया जाता है, या ठेकेदार की संपत्ति या संपत्ति के किसी भी हिस्से के लिए रिसीवर नियुक्त किया जाता है और/या
 - iv) ठेकेदार की मृत्यु या दुर्बलता के कारण उत्पन्न होने वाली आकस्मिकताओं की स्थिति में या किसी अन्य कारण या परिस्थितियों के लिए, अनुबंध की देनदारियों/कार्यनिष्ठादन दायित्व को निष्पलिखित द्वारा ऐसे नियमों और शर्तों पर वहन किया जाएगा, जैसा कि बैंक उचित समझे, अर्थात्:
- क) एकमात्र मालिक के मामले में कानूनी उत्तराधिकारी/प्रतिनिधि।

ख) कंपनी या फर्म के मामले में अगले निदेशक/भागीदार, जैसा भी मामला हो।

ग) हालांकि, ऐसी स्थिति में विशुद्ध रूप से स्टॉप-गैप व्यवस्था के रूप में, शेष अवधि के लिए या नए करार को निष्पादित होने तक, जो भी पहले हो, अनुबंध जारी रखने के लिए बैंक का विशेषाधिकार/अधिकार होगा।

व) किसी भी कारण से, ठेकेदार इस करार के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए कानून में अयोग्य हो जाता है और/या

vi) इस तरह के परिवर्तन के लिए बैंक के लिखित अनुमोदन के बिना ठेकेदार या उसके व्यवसाय के स्वामित्व/साझेदारी या प्रबंधन में कोई भिन्नता है।

vii) किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति की स्थिति में, ठेकेदार/या उसके या उसके एजेंटों द्वारा नियोजित व्यक्ति मुआवजे, क्षति या अन्यथा के रूप में बैंक से किसी भी राशि या रकम के हकदार नहीं होंगे।

कि इस अनुबंध के कई हिस्सों को ठेकेदार द्वारा पढ़ा गया है और ठेकेदार द्वारा पूरी तरह से समझा गया है।

ऊपर दर्शाए गए दिन और वर्ष को जिसके गवाह में पार्टियों ने इन दस्तावेजों के लिए अपने हस्ताक्षर किए हैं और सील लगाई है।

यदि ठेकेदार एक साझेदारी या एकल स्वामित्व है	ऊपर दर्शाए गए दिन और वर्ष को जिसके गवाह में बैंक और ठेकेदार ने ने इन दस्तावेजों की दो प्रतियों के लिए अपने हस्ताक्षर किए हैं और सील लगाई है।
यदि ठेकेदार एक कंपनी है	ऊपर दर्शाए गए दिन और वर्ष को जिसके गवाह में बैंक ने अपने विधिवत अधिकृत अधिकारी के माध्यम से और ठेकेदार ने इन दस्तावेजों की दो प्रतियों के लिए अपने हस्ताक्षर किए हैं और सील लगाई है।

बैंक की ओर से

बैंक के लिए और उसकी ओर से

हस्ताक्षर :

हस्ताक्षर :

नामः

नामः

पदनामः

पदनामः

की उपस्थिति में -

गवाह -

1. _____

पता:

2. _____

पता:

स्थानः

(निविदाकर्ता के हस्ताक्षर)

दिनांकः

(निविदाकर्ता की मुहर)

भाग - I

निविदाकर्ता द्वारा तकनीकी बोली

प्रति,
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिजर्व बैंक
भुवनेश्वर – 751001

प्रिय महोदय

भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर को आवश्यकता के आधार पर कार रेंटल सेवाएं प्रदान करने के लिए कार किराए पर लेने वाली एजेंसियों / कंपनियों के पैनल के लिए आवेदन।

क्रम संख्या	विवरण	निविदाकर्ता द्वारा भरा जाने वाला विवरण
1.	संगठन का नाम	
2.	a) संगठन का प्रकार - (चाहे प्रोप्राइटरशिप / पार्टनरशिप / एलएलपी / प्राइवेट लिमिटेड / लिमिटेड कंपनी)। b) स्थापना की तिथि c) पंजीकरण (फर्म, कंपनी, आदि), पंजीकरण प्राधिकरण, तिथि, संख्या, आदि का विवरण (एकल स्वामित्व के मामले में लागू नहीं)। कृपया इसके समर्थन में अपेक्षित दस्तावेज संलग्न करें।	
3.	पदनाम के साथ संगठन के मालिक/भागीदार/निदेशकों का नाम।	
4.	टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर के साथ संगठन का पंजीकृत कार्यालय/व्यावसायिक पता। और ई-मेल a) भुवनेश्वर में अपना कार्यालय होना चाहिए या नहीं b) भुवनेश्वर में स्थानीय कार्यालय का पता c) प्राधिकृत अधिकारी का नाम और उसका टेलीफोन नंबर। कृपया इसके समर्थन में अपेक्षित दस्तावेज संलग्न करें।	

5.	<p>कार्य अनुभव - अनुलग्नक । के <u>अनुसार कार्य आदेश, दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों द्वारा समर्थित पात्रता मानदंड और नियम और शर्तों में आवश्यकता के अनुसार कार्य अनुभव का विवरण।</u></p> <p>किसी भी केंद्र या सरकारी/अर्ध-सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों/बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए कार/टैक्सी किराए पर लेने की सेवाएं प्रदान करने के पिछले अनुभव, यदि कोई हो, के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ विवरण भी दिया जाना चाहिए।</p>	
6.	<p>क्या निविदा देने वाली फर्म/कंपनियां पिछले चार लगातार (या तीन वित्तीय वर्षों में से किसी एक) वित्तीय वर्षों में लाभ कमाने वाली इकाई हैं, यानी वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2024-25 तक। (समर्थित दस्तावेज़ जमा करें)</p>	
7.	<p>पिछले तीन वित्तीय वर्षों के आयकर रिटर्न - यानी वित्त वर्ष 2022-23, वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 (स्व-सत्यापित प्रति जमा की जानी है)</p>	
8.	<p>क्या एमएसएमई? यदि हाँ, तो पंजीकरण की तारीख इंगित करें। (प्रमाण पत्र/पंजीकरण की एक प्रति जमा की जानी है)।</p>	
9.	<p>बैंकरों का नाम और पता। कृपया इस निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार वित्तीय स्थिति के संबंध में बैंकर से एक प्रमाण पत्र संलग्न करें। <u>अनुलग्नक - II</u></p>	
10.	<p>वाहन के प्रकार/निर्माण/मॉडल जैसे विवरण के साथ स्वामित्व वाले वाहनों की संख्या। वाहन की स्थिति/आयु उनके पंजीकरण टैक्सी परमिट संख्या, आदि के साथ (दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)।</p>	

	बेड़े में वाहनों की सूची उनके आरसी/फिटनेस और स्वामिल्व वाले परमिट की फोटोकॉपी के साथ <u>अनुलग्नक-III</u> के अनुसार प्रस्तुत की जानी है	
11.	क्या संगठन के पास टूर्स और ट्रैवल्स चलाने के लिए आवश्यक प्रमाणपत्र है। (प्रतियां एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी)	
12.	मौजूदा ग्राहकों का नाम और पता पूरी जानकारी के साथ। अनुलग्नक-IV के अनुसार शीर्ष तीन मौजूदा ग्राहकों से प्रतिक्रिया आवश्यक है	
13.	बैंक खाता (चालू खाता, आईएफएससी कोड और खाता संख्या) जहाँ संगठन द्वारा भुगतान प्राप्त किया जाएगा।	
14.	पैन और जीएसटी विवरण (प्रतियां एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी)	
15	बेड़े में वाहनों की सूची उनके आरसी/फिटनेस और स्वामिल्व वाले परमिट की फोटोकॉपी के साथ <u>अनुलग्नक-III</u> के अनुसार प्रस्तुत की जानी है	

तकनीकी बोली के लिए जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की प्रतियां

- a. पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष 2022-23, वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25) के लिए आयकर रिटर्न
- b. कार्य अनुभव (अनुलग्नक I)
- c. बैंक रिपोर्ट (अनुलग्नक - II)
- d. वाहनों की सूची (अनुलग्नक - III)
- e. ग्राहक प्रतिक्रिया (अनुलग्नक - IV)
- f. बैंकरों का विवरण
- g. ग्राहकों की सूची।
- h. फर्म के निगमन दस्तावेज
- i. पैन और जीएसटी पंजीकरण की प्रति जहां भी लागू हो
- j. कारों के पंजीकरण प्रमाण पत्र
- k. निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के नाम पर कंपनी/एजेंसी की मुहर के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी/प्राधिकार।
- l. कोई अन्य दस्तावेज़ (कृपया निर्दिष्ट करें)

बैंक प्रूफ कॉल करने/प्रस्तुत जानकारी को सत्यापित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

घोषणा:

1. उपरोक्त जानकारी मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है और यदि कोई जानकारी असत्य या झूठी पाई जाती है, तो मुझे/हमें निविदा प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है/अनुबंध दिया जा सकता है।
2. मैं/हम बैंक द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं।
3. मैं/हम इस बात से भी सहमत हैं कि मेरी / हमारी निविदा निविदा के भाग I के खुलने की तारीख से 90 दिनों के लिए बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी और वैधता की इस अवधि को ऐसी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है जो बैंक और निविदाकर्ता के बीच लिखित रूप में पारस्परिक रूप से

सहमत हो सकती है। मैं/हम निविदा की वैधता की पूरी अवधि के दौरान बयान राशि रखने के लिए भी सहमत हैं।

4. मैं/हम समझते हैं कि बैंक किसी भी कारण बताए बिना किसी भी या सभी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
5. मैं/हम समझते हैं कि पैनल में शामिल होने के बाद, मैं/हम प्रत्येक श्रेणी के तहत सह-बोलीदाताओं द्वारा मूल्य बोली में दी गई सबसे कम बोली पर भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर के लिए वाहनों की आपूर्ति करने के लिए बाध्य होंगे।
6. बयान धन जमा का विवरण:

विवरण	कुल धनराशि	बैंक का नाम	बैंक शाखा का नाम	लेन-देन संख्या
ईएमडी	₹90,000/-			

वर्ष 2026 के माह का दिन

हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का नाम और मुहर

भाग - II

(वित्तीय बोली)

भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर को आवश्यकता के आधार पर कार किराए पर लेने की सेवाएं प्रदान करने के लिए कार हायर एजेसियों/कंपनियों के पैनल के लिए आवेदन

स्थानीय और बाहरी पर्यटन के लिए विभिन्न प्रकारों की कारों/उपयोगिता वाहनों को उपलब्ध कराने के लिए। नीचे दिए गए विभिन्न उपयोगों के अनुसार दर संरचना व्यापक होनी चाहिए, जिसमें निविदा के साथ उपलब्ध विभिन्न प्रकार के वाहनों और विभिन्न प्रकार की सेवाओं का विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दरें जीएसटी से अलग होनी चाहिए।

(यहां दरों को उद्धृत न करें। दर केवल एमएसटीसी पोर्टल पर उद्धृत की जाएगी)

* - बैंचमार्क दर (माल और सेवा कर को छोड़कर)

तालिका 1

स्थानीय ऊँटी के लिए कार किराया दरें

- स्थानीय ऊँटी की परिभाषा – आरबीआई, भुवनेश्वर (एक तरफ) से 170 किमी के भीतर ऊँटी जहां आगे की यात्रा या आधिकारिक ऊँटी के लिए रात भर के लिए कार को रखने की आवश्यकता नहीं है।
- यदि कार को स्थानीय ऊँटी पर रात भर के लिए रखा जाता है - तो केवल रात के रुकने के शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

कर्तव्य विवरण	कार (श्रेणी I)	कार (श्रेणी II)	कार (श्रेणी III)	कार (श्रेणी IV)	कार (श्रेणी V)	कार (श्रेणी VI)
हवाई अड्डा/रेलवे स्टेशन पिक-अप/ड्रॉप 4 घंटे/40 किमी	₹ _____ (लॉट नंबर 1)	₹ _____ (लॉट नंबर 2)	₹ _____ (लॉट नंबर 3)	₹ _____ (लॉट नंबर 4)	₹ _____ (लॉट नंबर 5)	₹ _____ (लॉट नंबर 6)
बैंचमार्क दरें	₹825/-*	₹1540/-*	₹1650/-*	₹1650/-*	₹2750/-*	₹3300/-*
कर्तव्य विवरण	कार	कार	कार	कार	कार	कार

	(श्रेणी I)	(श्रेणी II)	(श्रेणी III)	(श्रेणी IV)	(श्रेणी V)	(श्रेणी VI)
लोकल ड्यूटी के लिए कार 8 घंटे / 80 किमी	₹ _____ (लॉट नंबर 7)	₹ _____ (लॉट नंबर 8)	₹ _____ (लॉट नंबर 9)	₹ _____ (लॉट नंबर 10)	₹ _____ (लॉट नंबर 11)	₹ _____ (लॉट नंबर 12)
बेंचमार्क दरें	₹1991/-*	₹2871/-*	₹3300/-*	₹3960/-*	₹4950/-*	₹6050/-*
कर्तव्य विवरण	कार (श्रेणी I)	कार (श्रेणी II)	कार (श्रेणी III)	कार (श्रेणी IV)	कार (श्रेणी V)	कार (श्रेणी VI)
स्थानीय ड्यूटी के 8 घंटे से अधिक समय तक प्रति घंटे की दर	₹ _____ (लॉट नंबर 13)	₹ _____ (लॉट नंबर 14)	₹ _____ (लॉट नंबर 15)	₹ _____ (लॉट नंबर 16)	₹ _____ (लॉट नंबर 17)	₹ _____ (लॉट नंबर 18)
बेंचमार्क दरें	₹132/-*	₹187/-*	₹198/-*	₹308/-*	₹330/-*	₹605/-*
कर्तव्य विवरण	कार (श्रेणी I)	कार (श्रेणी II)	कार (श्रेणी III)	कार (श्रेणी IV)	कार (श्रेणी V)	कार (श्रेणी VI)
स्थानीय ड्यूटी पर 80 किलोमीटर से अधिक की अतिरिक्त प्रति किलोमीटर की दर	₹ _____ (लॉट नंबर 19)	₹ _____ (लॉट नंबर 20)	₹ _____ (लॉट नंबर 21)	₹ _____ (लॉट नंबर 22)	₹ _____ (लॉट नंबर 23)	₹ _____ (लॉट नंबर 24)
बेंचमार्क दरें	₹14/-*	₹19/-*	₹20/-*	₹33/-*	₹33/-*	₹61/-*

तालिका 2

बाहरी ऊँटी के लिए कार किराया दरें

- आउटस्टेशन ऊँटी की परिभाषा – आरबीआई, भुवनेश्वर (एक तरफ) से 170 किमी से अधिक की ऊँटी जहां आगे की यात्रा या आधिकारिक ऊँटी के लिए कार को रात भर के लिए रखने की आवश्यकता होती है।
- यदि कार को बाहरी ऊँटी में रखा जाता है और आउटस्टेशन ऊँटी के लिए ली जाने वाली न्यूनतम दूरी 170 किमी/दिन है।
- यदि कार आरबीआई, भुवनेश्वर (एक तरफ) से 170 किमी से आगे की यात्रा करती है और उसी दिन वापस आ जाती है, तो इसे स्थानीय शुल्क के रूप में माना जाएगा और तदनुसार बिल की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

कर्तव्य विवरण	कार (श्रेणी I)	कार (श्रेणी II)	कार (श्रेणी III)	कार (श्रेणी IV)	कार (श्रेणी V)	कार (श्रेणी VI)
ईंधन की कीमत प्रति किमी	₹ _____ (लॉट नंबर 25)	₹ _____ (लॉट नंबर 26)	₹ _____ (लॉट नंबर 27)	₹ _____ (लॉट नंबर 28)	₹ _____ (लॉट नंबर 29)	₹ _____ (लॉट नंबर 30)
बेंचमार्क दरें	₹14/-*	₹19/-*	₹20/-*	₹33/-*	₹33/-*	₹61/-*
रात का ठहराव	₹ _____ (लॉट नंबर 31)	₹ _____ (लॉट नंबर 32)	₹ _____ (लॉट नंबर 33)	₹ _____ (लॉट नंबर 34)	₹ _____ (लॉट नंबर 35)	₹ _____ (लॉट नंबर 36)
बेंचमार्क दरें	₹275/-*	₹275/-*	₹275/-*	₹275/-*	₹440/-*	₹550/-*

* - बेंचमार्क दर

कार की श्रेणी	कार सेगमेंट	वाहन का विवरण
श्रेणी I	(मिड सेगमेंट सेडान)	Maruti Dzire, Honda Amaze, Hyundai Aura और किसी भी प्रकार की EV या Hybrid समान श्रेणी (या समकक्ष) में
श्रेणी II	(हायर सेगमेंट सेडान)	Honda City, Hyundai Verna, Maruti Ciaz, Tata Curvv, Skoda Slavia और समान श्रेणी (या समकक्ष) में किसी भी प्रकार की EV या Hybrid

श्रेणी III	(एमयूवी/7-सीटर)	Kia Caren, Maruti Ertiga, Toyota Rumion, Renault Triber, Bolero Neo, Creta, Seltos, XUV 700, Scorpio और किसी भी प्रकार की EV या Hybrid समान श्रेणी (या समकक्ष) में
श्रेणी IV	(एमपीवी)	Innova Crysta, Innova Hycross, Maruti Invicto, Tata Harrier और समान श्रेणी (या समकक्ष) में किसी भी प्रकार की EV या Hybrid
श्रेणी V	(हाइब्रिड एमपीवी)	Innova Hycross Hybrid, Maruti Invicto Hybrid और समान श्रेणी में किसी भी प्रकार की EV या Hybrid (या समकक्ष)
श्रेणी VI	लक्ज़री एसयूवी	किआ कार्निवल/फॉर्चूनर और समान श्रेणी में किसी भी प्रकार की ईवी या हाइब्रिड (या समकक्ष)

उपर्युक्त दरें निम्नलिखित नियमों और शर्तों का अनुपालन करती हैं:

1. उद्धृत मूल्यों में बीमा शुल्क, एक समान प्रभार और केंद्र सरकार या किसी राज्य या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लगाए गए मौजूदा या भविष्य के किसी भी अन्य शुल्क/लेवी शामिल हैं, जो लागू हो, जिसके लिए अलग से कोई दावा नहीं किया जाएगा। **उद्धृत कीमतें जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) से अलग हैं।** कानून के अनुसार, लागू करों को स्रोत पर काटा जा सकता है और इसके लिए एक प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।
2. गैरेज से पिक-अप के बिंदु और ड्रॉप प्लाइंट से वापस गैरेज के संबंध में दावा किए जा सकने वाले अधिकतम दूरी के लिए शुल्क प्रत्येक पक्ष (आने-जाने और आने-जाने) के लिए 05 किलोमीटर तक सीमित होगा और बिल का भुगतान वास्तविक दूरी या 05 किलोमीटर प्रत्येक पक्ष (आने-जाने और आने-जाने) के लिए, जो भी कम हो, के लिए किया जाएगा। यह हवाई अड्डे के ड्रॉप/पिकअप और रेलवे स्टेशन के ड्रॉप/पिकअप के मामले में लागू नहीं होगा।
3. हवाई अड्डे के ड्रॉप/पिकअप, रेलवे स्टेशन ड्रॉप/पिकअप और अन्य मामलों (पड़ोसी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर के लिए बाहरी यात्रा) के मामले में पार्किंग शुल्क, पथकर शुल्क और अंतरराज्यीय परमिट का शुल्क लिया जाएगा, बशर्ते कि रसीदें प्रस्तुत की जाएं। सभी वाहन अच्छी स्थिति में होने चाहिए और इसके उपकरण आदि उचित आकार में होने चाहिए। इसे धोया जाना चाहिए और उचित सीट कवर प्रदान किया जाना चाहिए। यदि ठेकेदार कार की श्रेणी प्रदान करने में सक्षम नहीं है,

जिसके लिए बैंक द्वारा बुकिंग की गई है, तो वह बैंक को सूचित करने के बाद वाहन की उच्च श्रेणी प्रदान कर सकता है। हालांकि, बैंक द्वारा बुक किए गए वाहन की श्रेणी के लिए भुगतान किया जाएगा।

4. ऊपर उद्धृत शुल्कों में ऊटी पर चालक के लिए मोबाइल फोन, अग्रिशामक यंत्र और वाहन में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स जैसी वस्तुओं की लागत शामिल है।

5. ठेकेदार अतिरिक्त लागत के लिए या तो अतिरिक्त किमी या अतिरिक्त घंटे (जो भी अधिक हो) के लिए चार्ज कर सकता है और दोनों के लिए नहीं।

6. हवाई अड्डे/रेलवे पिकअप ऊटी के लिए, पार्किंग शुल्क (निर्धारित / वास्तविक उड़ान आगमन समय से 1 घंटे पहले तक जब तक अतिथि को लेने के बाद तक) मूल बिल/रसीदों के उत्पादन पर भुगतान किया जाएगा। टोल शुल्क का भुगतान मूल रसीद के उत्पादन पर ही किया जाएगा।

7. निविदाकर्ताओं द्वारा वाहनों की प्रत्येक श्रेणी के तहत उद्धृत न्यूनतम दर अन्य सभी निविदाकर्ताओं (जिन्होंने सबसे कम दरों का उल्लेख नहीं किया है) के लिए उनकी सहमति पर लागू होगी। पैनल के लिए केवल उन निविदाकर्ताओं पर विचार किया जाएगा जो अन्य निविदाकारों द्वारा वाहनों की प्रत्येक श्रेणी के तहत उद्धृत न्यूनतम दरों पर काम करने के लिए लिखित रूप में सहमत होंगे।

8. मैं/हम समझते हैं कि करार की अवधि के दौरान बैंक को केवल पैनल में शामिल करने के लिए न्यूनतम दरों पर वाहन उपलब्ध कराए जाने होंगे। यदि कीमतों में कोई गिरावट आती है, तो उसका लाभ बैंक को दिया जाएगा।

9. मैं/हम समझते हैं कि वाहन तालिका 1 और 2 में निर्दिष्ट बेंचमार्क दर से नीचे कोई कीमत कोट नहीं करेंगे।

10. मैं/हम समझते हैं कि बेंचमार्क दर से कम कीमत का उल्लेख करने के मामले में, मेरी बोली को बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

कंपनी/फर्म/एजेंसी का नाम और मुहर

वर्ष 2026 के माह का दिन

मूल्यांकन मानदंड

A. तकनीकी बोली मूल्यांकन

1. तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन एमएसटीसी पर बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा।
2. बैंक बोलीदाताओं की पात्रता को पूरा करने के लिए आवश्यक स्पष्टीकरण/सूचना/दस्तावेज मांग सकता है।
3. निर्धारित समय के भीतर इस तरह के स्पष्टीकरण/सूचना/दस्तावेज प्रदान करने में बोलीदाता की ओर से विफलता के कारण ऐसे बोलीदाता की बोली रद्द हो सकती है।
4. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कोई भी स्पष्टीकरण जो बैंक के अनुरोध के जवाब में नहीं है, उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. स्पष्टीकरण के लिए ग्राहक का अनुरोध और प्रतिक्रिया डाक या ईमेल के माध्यम से लिखित रूप में होगी।
6. वित्तीय बोली के मूल्यांकन पर केवल उन बोलीदाताओं के विचार किया जाएगा जो निविदा दस्तावेज के "निविदा में भाग लेने के लिए पात्रता मानदंड" में उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और उसी के संबंध में एमएसटीसी पर दस्तावेजी प्रमाण प्रदान करते हैं।

B. वित्तीय बोली मूल्यांकन

1. कोई भी बोलीदाता तालिका 1 और 2 में निर्दिष्ट बेंचमार्क दर से नीचे किसी भी मूल्य का उल्लेख नहीं करेगा।
2. बेंचमार्क दर से कम कीमत का उल्लेख करने के मामले में, बोली को बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा।
3. निविदाकर्ताओं द्वारा वाहनों की प्रत्येक श्रेणी के तहत उद्घृत न्यूनतम दर (बेंचमार्क दर से ऊपर) अन्य सभी निविदाकर्ताओं (जिन्होंने सबसे कम दरों का उल्लेख नहीं किया है) के लिए उनकी सहमति पर लागू होगी। पैनल के लिए केवल उन निविदाकर्ताओं पर विचार किया जाएगा जो अन्य निविदाकारों

द्वारा वाहनों की प्रत्येक श्रेणी के तहत उद्धृत न्यूनतम दरों पर काम करने के लिए लिखित रूप में सहमत होंगे।

4. बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे वित्तीय बोली के लिए किसी भी नियम और शर्तों को लागू न करें, अन्यथा इसे अमान्य माना जाएगा।

कार्य अनुभव

पिछले 3 वर्षों के दौरान निविदाकर्ता द्वारा निष्पादित इसी तरह के कार्यों की सूची

क्रम संख्या	प्रदान की गई सेवा का विवरण	संगठन का नाम और पता	कर्मचारी/अधिकारी का नाम और पता जिसकी देखरेख में सेवाएं प्रदान की गईं	कुल राशि में रु. (संपूर्ण वार्षिक अनुबंध के लिए)	क्या सेवाएं थे के लिए प्रदान किया गया मूल रूप से अनुबंधित समय के लिए थी या नहीं	संगठन के लिए कार्य करने के वर्षों की संख्या
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9*						

*यदि आवश्यक हो तो अधिक पंक्तियाँ जोड़ें।

आवेदक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

बैंक रिपोर्ट का प्रारूप

गोपनीय

भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर द्वारा कार किराए पर लेने वाले सेवा प्रदाताओं का पैनल - बैंक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली कंपनी/फर्म/कंपनी के साधनों और स्थिति पर गोपनीय रिपोर्ट।

1. फर्म/एजेंसी/कंपनी का नाम
2. खाता प्रकार और संख्या
3. प्रोपराइटर/पार्टनर/डायरेक्टर्स के नाम
4. पिछले 3 वर्षों के लिए फर्म का कारोबार
5. फर्म द्वारा प्राप्त क्रेडिट सुविधा/ओडी सुविधा
6. फर्म के लेन-देन की प्रकृति और उस पर राय
7. वह अवधि जिससे फर्म/एजेंसी/कंपनी आपके बैंक के साथ बैंकिंग कर रही है
8. इस बात पर राय कि क्या पार्टी को सालाना ₹15 लाख की अनुमानित लागत वाले कार्यों के लिए अनुबंध सौंपे जाने के लिए आर्थिक रूप से मजबूत माना जा सकता है।
9. कोई अन्य अपेक्षित जानकारी/टिप्पणी।

शाखा प्रबंधक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के मुहर के साथ हस्ताक्षर

शाखा के पते के साथ बैंक का नाम:

अनुलग्नक - III

बेड़े में वाहनों की सूची

(आवेदक के लेटरहेड पर दिया जाना है)

क्र.सं.	वाहन का निर्माण	पंजीकरण संख्या	मॉडल और निर्माण का वर्ष	वर्तमान माइलेज
---------	-----------------	----------------	-------------------------	----------------

खुद के वाहन

संविदागत वाहन

--	--	--	--	--

एमएसटीसी पोर्टल पर निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य अपलोड करें:

- (a) पंजीकरण प्रमाणपत्र
- (b) बीमा के कागजात
- (c) टैक्सी परमिट
- (d) प्रदूषण प्रमाण पत्र
- (e) कोई अन्य अपेक्षित दस्तावेज

मुहर/स्टाम्प तिथि के साथ निविदाकर्ता के

हस्ताक्षर:

स्थान:

ग्राहक रिपोर्ट का प्रारूप

गोपनीय

भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर को आवश्यकता के आधार पर कार रेंटल सेवाएं प्रदान करने के लिए कार हायर एजेंसियों/कंपनियों का पैनल।

1. ग्राहक का नाम और पता
2. निष्पादित कार्यों के मूल्य का विवरण
3. करार की तारीख और राशि
4. अनुबंध के प्रारंभ और समाप्ति की तिथि
5. फर्म द्वारा प्रदान किए गए वाहनों की गुणवत्ता:
6. फर्म द्वारा प्रदान किए गए ड्राइवर की गुणवत्ता
7. फर्म/एजेंसी की सत्यता और विश्वसनीयता
8. फर्म/एजेंसी के साथ विवादों का विवरण, यदि कोई हो,
9. क्या कारणों के साथ कोई जुर्माना लगाया गया है (विवरण प्रदान करें)
10. प्रदान की गई कार सेवाओं की रेटिंग: उल्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब (कृपया किसी पर भी टिक करें)।
11. कोई अन्य जानकारी/प्रतिक्रिया जिस पर आप विचार करते हैं, वह हमें निर्णय लेने में मदद करेगी

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और स्टाम्प के हस्ताक्षर:

हस्ताक्षर प्राधिकारी का पदनाम:

संगठन का नाम:

नोट:

- i) सभी कॉलम ठीक से प्रतिहस्ताक्षरित भरे जाने चाहिए।
- ii) ग्राहक प्रमाण पत्र प्रत्येक पूर्व-योग्यता कार्य के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए
- iii) ग्राहक प्रमाण पत्र प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर के साथ ग्राहक के लेटर हेड पर होना चाहिए।
- iv) ग्राहक प्रमाण पत्र पर सरकारी / अर्ध-सरकारी, संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के मामले में कार्यकारी अभियंता या समकक्ष के रैंक के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
- v) ठेकेदार द्वारा उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए प्राप्त भुगतान के पर्याप्त प्रमाण द्वारा समर्थित।
- vi) निजी संगठन द्वारा जारी ग्राहक की रिपोर्ट टीडीएस प्रमाण पत्र के साथ होगी।

कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी
(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

स्थान: _____

दिनांक: _____

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
भुवनेश्वर

महोदया/प्रिय महोदय,

अनुबंध का नाम - भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर को कार किराए पर लेने की सेवाएं प्रदान करने के लिए कार हायर एजेंसियों का पैनल

जबकि (बैंक का नाम) कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत गठित एक कंपनी और के तहत एक बैंकिंग कंपनी (अधिनियम का नाम) जिसका पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय में है और जिसका एक क्षेत्रीय कार्यालय (पता) इसके बाद के रूप में संदर्भित (बैंक का नाम) में स्थित है।

जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई में है, और भुवनेश्वर में एक कार्यालय है (जिसे बाद में 'भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर' कहा जाता है) ने (विक्रेता का नाम) (इसके बाद "विक्रेता" कहा जाता है, जो अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी और असाइन शामिल होंगे)।

और जबकि विक्रेता भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर को अनुबंध में निहित नियमों और शर्तों की उक्त विक्रेता द्वारा उचित पूर्ति के लिए/- (रुपये..... केवल) की कुल राशि के लिए एक कार्यनिष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के लिए उक्त अनुबंध से बाध्य है)

हम, (बैंक का नाम), के अनुरोध पर (विक्रेता का नाम) विक्रेता एतद्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर को संविदा के निबंधन और शर्तों को पूरा करने के लिए निष्पादन गारंटी के रूप में ₹/- से अधिक की राशि का भुगतान करने का वचन देता है।

अब यह गारंटी गवाह है

1. हम, (बैंक नाम), भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर के साथ सहमत हैं और उनके उत्तराधिकारियों को वचन देते हैं, यह निर्दिष्ट करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर के इस निष्कर्ष पर पहुंचने की स्थिति में कि विक्रेता ने अनुबंध की उक्त शर्तों के तहत अपने दायित्वों का पालन नहीं किया है या उसका उल्लंघन किया है, जो निष्कर्ष हमारे साथ-साथ उक्त विक्रेता पर बाध्यकारी होगा, हम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लिखित मांग करने पर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर को ₹...../- (रुपये..... केवल) या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मांगी जा सकने वाली कोई भी निर्धारित राशि का भुगतान करेंगे ।

हमारी गारंटी को उक्त शर्तों के तहत विक्रेता के दायित्वों के उचित कार्यनिष्पादन के लिए सेक्योरिट डिपाजिट के बराबर माना जाएगा, बशर्ते कि ऐसी राशि के खिलाफ हमारी देयता ₹...../- (रुपये..... केवल) राशि से अधिक नहीं होगी।

2. हम यह भी स्वीकार करने और पुष्टि करने के लिए सहमत हैं कि राशि ₹...../- (रुपये..... केवल) से अधिक नहीं है। केवल) जैसा कि पूर्वोक्त है, हमारे द्वारा बिना किसी विलंब या विरोध के, केवल भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर से लिखित रूप में एक नोटिस प्राप्त होने पर लिखित मांग पर भुगतान किया जाएगा, जिसमें कहा गया है कि राशि उनके लिए देय है और हम कोई और सबूत नहीं मांगेंगे और भारतीय रिजर्व बैंक से नोटिस हम पर निर्णयिक और बाध्यकारी होगा और हमारे द्वारा किसी भी मामले में पूछताछ नहीं की जाएगी सम्मान या तरीका जो भी हो। हम भारतीय रिजर्व

बैंक द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान पूर्वक नोटिस प्राप्त होने की तारीख से एक कार्य सप्ताह की अवधि के भीतर करने का वचन देते हैं।

3. हम पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर के प्रति हमारा दायित्व भारतीय रिज़र्व बैंक और विक्रेता के बीच करार या अनुबंध या अन्य समझ से स्वतंत्र होगा।

4. यह गारंटी भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर की लिखित पूर्व सहमति के बिना हमारे द्वारा रद्द नहीं की जाएगी।

हम इसके द्वारा आगे सहमत हैं कि -

क) भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर की ओर से उक्त करार की शर्तों को लागू करने में या उक्त निविदा में निर्धारित किसी भी नियम और शर्तों के अनुपालन में और/या इसके तहत या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किसी भी समय की अनुमति देने या किसी भी अनुग्रह को दर्शाने में कोई भूल-चूक, विक्रेता को भुवनेश्वर या उसके संबंध में कोई अन्य मामला हमें किसी भी तरह से और इस गारंटी के तहत हमारे दायित्व का निर्वहन नहीं करेगा। यह गारंटी केवल विक्रेता द्वारा उनके दायित्वों के कार्यनिष्पादन द्वारा और ऐसा करने में उनकी विफलता की स्थिति में, हमारे द्वारा ₹...../- (रुपये..... केवल) या इसकी वैधता तक, जो भी पहले हो, या या इस बड़ी सीमा की वैधता तक से अधिक की राशि का भुगतान करके किया जाएगा ।

ख) इन दस्तावेजों के तहत हमारी देयता ₹...../- (रुपये) की राशि से अधिक नहीं होगी केवल)।

ग) इस करार के तहत हमारा दायित्व उक्त कार्य के लिए निविदा देने में हमारे उक्त घटकों की ओर से किसी भी दुर्बलता या अनियमितता या हमारे उक्त घटकों के संविधान में विघटन या परिवर्तन के तहत उनके दायित्व से प्रभावित नहीं होगा ।

घ) यह गारंटी 31 मई, 2029 तक लागू रहेगी, बशर्ते कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर द्वारा ऐसा चाहे तो इस गारंटी को एक और अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है, जैसा कि उनके द्वारा उसी नियमों और शर्तों पर इंगित किया जा सकता है, जैसा कि यहां निहित है, ऐसा कोई भी विस्तार के विवेकाधिकार के साथ किया जाएगा (बैंक का नाम)।

ड) इस दस्तावेज के तहत हमारी देयता तब तक समाप्त हो जाएगी जब तक कि इन दस्तावेजों को 31 मई, 2029 को यहां प्रदान किए गए अनुसार नवीनीकृत नहीं किया जाता है, या उस दिन जब हमारे उक्त घटक अपने दायित्वों का पालन करते हैं, जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर द्वारा लिखित रूप में एक प्रमाण पत्र अकेले निर्णयिक प्रमाण है, जो भी तारीख बाद में हो। जब तक उस तारीख से छह महीने या किसी विस्तारित अवधि के भीतर हमारे खिलाफ कोई दावा या मुकदमा या कार्रवाई दायर नहीं की जाती है, तब तक इस गारंटी के तहत हमारे खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर के सभी अधिकार जब्त कर लिए जाएंगे और हमें यहां के तहत हमारे सभी दायित्वों और देनदारियों से मुक्त और मुक्त कर दिया जाएगा।

इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद यहां निहित

- इस गारंटी के तहत हमारी देयता रु..... /- (रूपये..... केवल) से अधिक नहीं होगी। (केवल)
- यह बैंक गारंटी 31 मई, 2029 तक वैध रहेगी, और
- हम गारंटी राशि का भुगतान केवल तभी और तभी करने के लिए उत्तरदायी हैं जब हमें भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर से 31 मई, 2029 तक लिखित दावा या मांग प्राप्त होती है..... (बैंक का नाम और पता)। इस गारंटी के तहत आपके सभी अधिकारों के साथ-साथ हमारी देयता तब तक समाप्त हो जाएगी जब तक कि इस गारंटी के तहत 31 मई, 2029 के बाद कोई लिखित दावा या मांग नहीं की जाती है, चाहे मूल बीजी हमें प्रस्तुत किया गया हो या नहीं।

जिसकी गवाही में मैं/हम (बैंक नाम) ने इस गारंटी पर _____ (माह) (वर्ष) के _____ दिन हस्ताक्षर किए हैं और इस गारंटी पर सील लगा दी गई है।

..... के लिए और उसकी ओर से (बैंक का नाम)

प्राधिकृत के हस्ताक्षर (बैंक का नाम) अधिकारी

नामः

पदनाम -

..... की स्टाम्प/मुहर (बैंक का नाम)

हस्ताक्षरित, मुहरबंद और के लिए और की ओर से सुपुर्द (बैंक का नाम) उपरोक्त द्वारा निम्नलिखित गवाहों की उपस्थिति में निष्पादित किया गया :

गवाह 1

हस्ताक्षर

नाम.....

पता

.....
.....

गवाह 2

हस्ताक्षर

नाम.....

पता

.....
.....

(ध्यान दें : इस गारंटी के लिए राज्य में लागू स्टांप शुल्क की आवश्यकता होगी, जहां इसे निष्पादित किया जाता है और उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसके हस्ताक्षर और अधिकार सत्यापित किए जाएंगे)।

उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया फॉर्म सह झूटी स्लिप

(यात्रा शुरू होने से पहले उपयोगकर्ता को प्रदान किया जाना है)

क्रमांक	विवरण	विवरण			
1.	अतिथि का नाम और पदनाम				
2.	संपर्क नंबर				
3.	यात्रा की तिथि	KM शुरू करना	समय	केएम बंद करना	समय
4.	दिनांक:				
5.	दिनांक:				
6.	दिनांक:				
7.	दिनांक:				
8.	दिनांक:				
9.	दिनांक:				
10.	दिनांक:				
11.	एजेंसी का नाम				
12.	वाहन का प्रकार				
13.	पूरी कार नंबर				
14.	ड्राइवर का नाम और मोबाइल नंबर				

कृपया हाँ या ना पर टिक मार्क लगाएं

15.	क्या KM पढ़ना प्रारंभ करना ड्राइवर द्वारा दिखाया गया था?	हाँ	नहीं
16.	क्या ड्राइवर ने अतिथि को तख्ती के साथ रिसिव किया?	हाँ	नहीं
17.	क्या ड्राइवर समय पर था?	हाँ	नहीं
18.	क्या ड्राइवर ने बड़े व्यवस्थित रूप से कपड़े पहने थे/अच्छा व्यवहार किया था/अनुभवी था?	हाँ	नहीं

	क्या कार का रखरखाव अच्छी तरह से किया गया था?	हाँ	नहीं
19.	ब्रांडेड पानी की बोतल जैसी बुनियादी सुविधाएं थीं, वाहन में समाचार पत्र (एक राष्ट्रीय और एक वित्तीय), टिशू पेपर, हैंड सैनिटाइज़र, मास्क आदि उपलब्ध कराए जाते हैं?	हाँ	नहीं
20.	कोई अन्य सुझाव/शिकायत/अवलोकन		

(अतिथि के हस्ताक्षर)

अतिथि का नाम और पदनामः

वाहन को छोड़ने की तिथि और समयः